



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वित्त लेखे (खण्ड ।)

2023-24



बिहार सरकार

वित्त लेखे (खण्ड I)

वर्ष 2023-24 के लिए

बिहार सरकार

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
खण्ड I	
■ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	iii -viii
■ वित्त लेखे की निर्देशिका	ix-xiv
विवरण 1 वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
विवरण 2 प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण	4-6
अनुबंध क- रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश	7
विवरण 3 प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	8-10
विवरण 4 व्यय का विवरण (समेकित निधि)	11-15
विवरण 5 प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	16-20
विवरण 6 उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण	21-22
विवरण 7 सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण	23-24
विवरण 8 सरकार के निवेशों का विवरण	25
विवरण 9 सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण	26
विवरण 10 सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण	27-28
विवरण 11 दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण	29
विवरण 12 राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण	30-32
विवरण 13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार	33-34
■ वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ	35-56

खण्ड II

भाग I विस्तृत विवरणी

विवरण 14 लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	58-86
विवरण 15 लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	87-148
विवरण 16 लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	149-275
विवरण 17 उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	276-293
विवरण 18 सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण	294-342
विवरण 19 सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	343-365
विवरण 20 सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण	366-369
विवरण 21 आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	370-381
विवरण 22 उद्दिष्ट शेषों के निवेशों का विस्तृत विवरण	382-386

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
भाग II परिशिष्ट	
परिशिष्ट I वेतन पर तुलनात्मक व्यय	388-397
परिशिष्ट II सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय	398-406
परिशिष्ट III राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान/सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	407-449
परिशिष्ट IV बाह्य संपोषित परियोजनाएँ का व्यौरा	450-453
परिशिष्ट V स्कीम व्यय	
क. केन्द्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	454-482
ख. राज्य स्कीम	483-525
परिशिष्ट VI केन्द्रीय योजना निधि का राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को सीधे स्थानान्तरण (राज्य बजट से बाहर निधियों का परिचालन) (अअंकेक्षित आंकड़े)	526-558
परिशिष्ट VII शेषों की स्वीकार्यता तथा मिलान	559-561
परिशिष्ट VIII सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम	562-563
परिशिष्ट IX सरकार की प्रतिबद्धता-अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की सूची	564-647
परिशिष्ट X वेतन तथा गैर-वेतन हिस्से के अलगाव के साथ अनुरक्षण व्यय	648-651
परिशिष्ट XI बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं पर वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय	652
परिशिष्ट XII सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	653-655
परिशिष्ट XIII राज्य का पुनर्गठन- मदें जिसके शेषों का विभाजन राज्यों के बीच अंतिम रूप से नहीं हुआ है	656-659

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

बिहार सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के वित्त लेखे वर्ष की प्राप्तियां एवं संवितरणों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से/में लेन-देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड-I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और ‘वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां’ शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड-II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, ‘वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां’ के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे वर्ष 2023-24 के लिए उचित वित्तीय स्थिति और राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान की गयी लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही बिहार सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमण्डल से बजट का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे बिहार सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए बिहार के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे सम्बंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत बिहार के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों का संकलन करने एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखे वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और बिहार सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किये गये हैं।

इस संकलन में विवरणी 8, 9, 10, 15 (अनुलग्नक-I), 17(ख), 17(ग), 19 और 20 और परिशिष्ट III, IV, IX, XI और XII सीधे बिहार सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किये गए हैं, जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसे लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं,

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सरकार की बकाया देनदारी के रूप में ₹51.11 करोड़ (पिछले वर्षों का कम अंतरण) की राशि 31 मार्च 2024 तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को अंतरित की जानी थी।

(वित्त लेखा टिप्पणी 5(i))

- वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार के विभागों ने 5,088 ऐसी विपत्रों के विरुद्ध सरकारी खातों से ₹4,718.24 करोड़ आहरित किए थे, जिसमें मुख्य रूप से बजट प्रावधानों के उपयोग हेतु मार्च 2024 में ₹1,041.12 करोड़ (22.06 प्रतिशत) आहरित किए गए।

सितंबर 2023 तक निकाले गए ₹9,205.76 करोड़ (पूँजीगत व्यय हेतु ₹5,577.91 करोड़ शामिल) के कुल 22,130 ऐसी विपत्रों के संबंध में ढीसी विपत्र, 31 मार्च 2024 तक समायोजित होने थे। आहरित अग्रिमों का लेखाकरण नहीं किये जाने से बर्बादी/दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।

(वित्त लेखा टिप्पणी 3(vi))

- वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹70,877.61 करोड़ की राशि के बकाया 49,649 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जो प्रस्तुत करने के लिए देय थे (सितंबर 2022 तक निकाले गए), बिहार सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान के विरुद्ध राज्य के निकायों और अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(वित्त लेखा टिप्पणी 3(vii))

4. व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) के अनुसार, मार्च 2024 के अंत में 252 प्रशासकों के अधीन व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों में ₹2,180.46 करोड़ पड़े थे। व्यापक कोष प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीटीएमआईएस) से सीएफएमएस में 04 पीडी खातों का स्थानांतरण, जिनमें ₹1.54 करोड़ की राशि थी, 31 मार्च 2024 तक लंबित था।

(वित्त लेखा टिप्पणी 3(v))

5. वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य ने ₹26,359.34 करोड़ की गारंटीयाँ जारी की। 31 मार्च 2024 तक कुल बकाया गारंटियों की राशि ₹28,040.95 करोड़ (मूलधन: ₹26,715.26 करोड़ और ब्याज: ₹1,325.69 करोड़) है। हालाँकि, राज्य द्वारा न तो गारंटी मोचन निधि बनाई है और न ही एफआरबीएम (संशोधन), अधिनियम 2022 के अनुसार गारंटियों पर सीमा निर्धारण हेतु किसी तरह के नियम बनाए गए हैं।

(वित्त लेखा टिप्पणी 3(ix) एवं 5(ii) ख)

6. विगत कई वर्षों से, बिहार सरकार राजस्व और पूँजीगत मुख्य शीर्षों के लेखे को नामे करके, राशियों को समेकित निधि से लोक लेखे (विशेष रूप से जमा खाते, यथा मुख्य शीर्ष-8448) में अंतरित कर रही है। इस प्रकार अंतरित की गयी राशियों को उस वर्ष के लेखे में व्यय के रूप में लिया जाता है जबकि वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय हुआ है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित नहीं है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य द्वारा ₹23,367 करोड़ जमा खातों में अंतरित किए गए हैं।

(वित्त लेखा विवरणी 21)

7. वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹771.07 करोड़ (राजस्व: ₹448.88 करोड़ और पूँजीगत: ₹322.19 करोड़) और ₹0.18 करोड़ राशि को क्रमशः व्यय तथा प्राप्तियों को आपत्ति पुस्तिका (ओबी) उचंत के अंतर्गत रखा गया है और ₹9,817.79 करोड़ की राशि (पिछले वर्षों से संबंधित) को ओबी सस्पेंस से समाशोधित कर दिया गया है जो उस सीमा तक प्राप्ति और व्यय को प्रभावित करता है। मार्च 2024 के अंत में शीर्ष 8658-102-उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत संचयी शेष ₹4,872.12 करोड़ है।

(वित्त लेखा विवरणी 21 और टिप्पणी 5(iv))

पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

‘मामले के महत्व’ खंड के कारण वित्त लेखाओं पर मेरा अभिमत संशोधित नहीं हुआ है।

दिनांक: 19 नवम्बर 2024

स्थान : नई दिल्ली



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की निर्देशिका

क. सरकारी लेखे के संरचना का वृहद् सार

1. बिहार सरकार के वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे के साथ-साथ राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लेखे में दर्ज शेषों के आधार पर परिकलित राज्य सरकार के लोक-ऋण एवं देयताओं तथा परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करता है। वित्त लेखे के साथ विनियोग लेखे होते हैं जो अनुदानों/विनियोगों के द्वारा किये गये व्यय की तुलना दर्शाते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I : समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए कुल राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बन्धपत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित किए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के अदायगी हेतु सरकार द्वारा प्राप्त किए गए कुल राशि सम्मिलित है। इस निधि से राशि का विनियोग नहीं किया जा सकता है सिवाय विधि द्वारा स्थापित एवं भारत के संविधान द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों तथा प्रदत्त रीतियों के अनुरूप हो। निश्चित श्रेणियों के व्यय (यथा, संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण अदायगियाँ आदि) राज्य के समेकित निधि (भारित व्यय) पर भारित होते हैं तथा उनके लिए विधानमंडल के मत की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमंडल द्वारा मतदेय होते हैं।

समेकित निधि के दो भाग होते हैं : राजस्व एवं पूँजी (लोक ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)। इन्हें पुनः 'प्राप्तियाँ' तथा 'व्यय' के अंतर्गत बाँटा गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन खण्डों, यथा-'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में बाँटा गया है। इन तीन खण्डों को पुनः उप-खण्डों, जैसे-'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवायें' आदि में बाँटा गया है। पूँजी प्राप्तियाँ अनुभाग में खण्ड या उप-खण्ड नहीं होता है। राजस्व व्यय अनुभाग को चार खण्डों, यथा-'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में बाँटा गया है। राजस्व व्यय के इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों, जैसे- 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' आदि में बाँटा गया है। पूँजीगत व्यय अनुभाग को सात खण्डों, यथा-'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें', 'लोक-ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अन्तर्राज्यीय परिशोधन' तथा 'आकस्मिकता निधि में अंतरण' में उपविभाजित किया गया है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : यह निधि एक अग्रदाय के रूप में होती है जिसे विधायिका विधि द्वारा स्थापित करती है एवं जो अप्रत्याशित व्यय जिसका अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा लंबित होता है, के वहन के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु राज्यपाल के अधीन होता है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य के समेकित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे डालकर की जाती है। वर्ष 2023-24 के लिए बिहार सरकार की आकस्मिकता निधि ₹350 करोड़ है।


भाग III : लोक लेखा : सरकार या सरकार की ओर से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार एक बैंकर या न्यासी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में पुनर्भुगतान योग्य जैसे-अल्प बचत तथा भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। राज्य सरकार के साथ उपलब्ध निवल रोकड़ शेष को भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा में छः खण्ड शामिल हैं, यथा-'लघु बचत', 'भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष'। इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों में उपविभाजित किया गया है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

3. सरकारी लेखे एक छः स्तरीय वर्गीकरण के अधीन दर्शाएं जाते हैं; यथा-मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप शीर्ष (चार अंक), विस्तृत शीर्ष (दो) तथा विषय शीर्ष (दो)। मुख्यशीर्ष सरकार के कार्यों को, उप-मुख्य शीर्ष उप-कार्यों को, लघु शीर्ष कार्यक्रमों/क्रियाकलापों को, उप शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को तथा विषय शीर्ष व्यय के उद्देश्य/विषय को दर्शाते हैं।

4. लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग पद्धति सम्मिलित है (31 मार्च 2024 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार)-

0005 से 1606	-	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	-	राजस्व व्यय
4000	-	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	-	पूँजीगत व्यय (लोक- ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)
7999	-	आकस्मिकता निधि में विनियोजन
8000	-	आकस्मिकता निधि
8001-8999	-	लोक लेखा

5. लेखे की संरचना का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:



ख. वित्त लेखे में क्या सन्निहित होते हैं

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त लेखे की निर्देशिका, 13 विवरणियाँ जो राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष तथा वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ की वित्तीय स्थिति एवं संव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना प्रदान करते हैं, सन्निहित होता है। **खण्ड II** में 13 विवरणियाँ तथा वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ का ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण:** यह विवरण वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलित करते हुए दर्शाता है।
2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा- समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूचि शामिल होता है। परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है।
3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** इस विवरण में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरण व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है।
6. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण:** सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। ‘अन्य दायित्वों’ में ‘लघु बचत, भविष्य निधि आदि, ‘आरक्षित निधि’ तथा ‘जमा’ सम्मिलित होते हैं। इस विवरण में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होता है और यह वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे-सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्त्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल ऋण तथा अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होता है।
8. **सरकार के निवेशों का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होता है।
9. **सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण:** यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होता है।
10. **सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे- सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
11. **दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण:** यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है।
12. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण:** यह विवरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना चाहिए जबकि पूँजीगत

व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारः** यह विवरण लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होता है।

वित्त लेखे और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के लिए टिप्पणी

वित्त लेखे के टिप्पणी प्रकटीकरण और व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य लेनदेन, लेनदेन के श्रेणी, शेष राशि आदि से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो वित्त लेखे के हितधारकों/उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर, भारत सरकार के लेखांकन मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं, खातों के रूप, पूंजी और राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन आदि सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ वित्त लेखे के खण्ड-I में वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ में शामिल हैं। वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं- भाग- I में नौ विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग II में 13 परिशिष्टें।

खण्ड II का भाग-I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 3 के अनुरूप होता है। लघु शीर्ष स्तर पर राजस्व प्राप्तियों के विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, इस विवरण में उप-शीर्ष स्तर पर केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को दर्शाता है।
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 4 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित और दत्तमत व्यय अलग-अलग दर्शाएं जाते हैं।
16. **पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान और संचयी रूप से) को दर्शाता है। प्रभारित और दत्तमत व्यय अलग-अलग दर्शाएं जाते हैं। लघु शीर्ष के स्तर पर पूँजीगत व्यय के विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, यह विवरण महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में उप-शीर्ष स्तर पर भी दर्शाता है।
17. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है। यह विवरण तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋण संबंधी सूचना को प्रदर्शित करता है: (क) व्यक्तिगत ऋणों का विवरण; (ख) परिपक्वता पाश्वर्चित्र अर्थात् प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतेय राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पाश्वर्चित्र एवं बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।
18. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होता है।
19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण, विस्तृत विवरणियाँ 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण ईकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होता है।
20. **सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकारी गारंटियों का ईकाई वार विवरण प्रस्तुत करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होता है।

21. आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संबंधित विवरण: यह विवरण लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संबंधित विवरण एवं अन्त में बकाए शेषों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।
22. उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण: यह विवरण आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

खण्ड II का भाग-II

भाग-II में 13 परिशिष्ट होते हैं जिसमें विभिन्न विषयों वेतन, सब्सिडी, सहायता अनुदान, बाह्य संपोषित परियोजनाएँ, मुख्य केन्द्रीय स्कीमों एवं राज्य स्कीमों से संबंधित स्कीमवार व्यय आदि सम्मिलित होता है। लेखे में इनके ब्योरे को उपशीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु शीर्ष से नीचे) तक दर्शाया जाता है और प्रायः इन्हें वित्त लेखे में दर्शाए नहीं जाते हैं। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I या II में 'विषय सूची' पर दृष्टिगोचर होता है। परिशिष्टों के साथ पठित वित्त लेखे के विवरणी और टिप्पणियाँ वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करती हैं।

ग. सहज तालिका

निम्न अनुभाग खण्ड I में दर्शाए गए संक्षिप्त विवरणियों को खण्ड II में विस्तृत विवरणियों तथा परिशिष्टों के साथ जोड़ता है। (उन परिशिष्टों को जिनका संक्षिप्त विवरणियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, नीचे नहीं दिखाए गए हैं):

मानदण्ड	संक्षिप्त विवरण (खण्ड-I)	विस्तृत विवरण (खण्ड-II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुदान प्राप्ति सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	.
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (सब्सिडी)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2, 10	-	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिये गए ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	-
ऋण की स्थिति/उधार	1, 2, 6	17	-
सरकार द्वारा कम्पनियों एवं निगमों में निवेश आदि	8	19	-
रोकड़	1, 2, 12, 13	-	-
लोक लेखा शेष एवं तत्संबंधी निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	-
गारंटियाँ	9	20	-
योजनाएँ	-	-	IV (बाह्य संपोषित परियोजनाएँ)

संक्षिप्त विवरणी

विवरण 1: वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियाँ ¹	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
रोकड़			36,982.18	22,903.95
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष	21		233.22	234.65
(iii) स्थायी अग्रदाय	21		765.53	765.46
(iv) रोकड़ शेष निवेश	21		26,762.09	14,069.82
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	21		726.68	805.90
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश ²	22		8,494.66	7,028.12
पूँजीगत व्यय	16		3,27,339.05	2,90,886.03
(i) कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	8		41,512.97	39,024.62
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय			2,85,826.08	2,51,861.41
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)			0.00	0.00
कर्ज तथा उधार	18		27,249.57	25,209.64
सिविल अग्रिम	21		249.96	249.96
उचंत तथा विविध शेष ³	21		5,611.89	14,416.78
प्रेषण शेष	21		1,128.33	1,125.96
प्राप्तियों से व्यय का संचयी अधिकाई ⁴			0.00	0.00
जोड़ :			3,98,560.98	3,54,792.32

¹परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के ऑकड़ संचयी हैं।

²उद्दिष्ट निधियों से निवेश पूँजीगत व्यय में शामिल नहीं हैं।

³इस विवरण के पांक्ति मद 'उचंत तथा विविध शेष' में मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखा के अंतर्गत ₹5,611.32 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 8679-अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गये लेखे के अंतर्गत ₹0.57 करोड़ शामिल है।

⁴व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई या प्राप्तियों से व्यय की संचयी अधिकाई एक दूसरे से भिन्न है और वर्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व हानि नहीं है।

विवरण 1: वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

देयताएं	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
उधार (लोक ऋण)			2,80,083.89	2,42,845.73
(i) आंतरिक ऋण		17	2,36,205.16	2,08,098.10
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम [#]		17	43,878.73	34,747.63
योजनेतर कर्ज		17	0.58	0.58
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		17	191.29	191.29
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		17	1.01	1.01
केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कर्ज		17	0.53	0.53
केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए कर्ज		17	30.29	33.10
अन्य कर्ज		17	43,655.03	34,521.12
अन्तर्राज्यीय परिशोधन		12	74.01	74.01
आकस्मिकता निधि (संग्रह)		21	350.00	350.00
लोक लेखा पर देयताएं			61,358.31	57,660.87
(i) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि		21	9,141.12	9,396.88
(ii) जमा		21	39,666.57	38,437.96
(iii) आरक्षित निधि		21	12,343.98	9,654.72
(iv) प्रेषण शेष			0.00	0.00
(v) उचंत तथा विविध शेष		21	206.63	171.31
iv. d. i. k* व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई ⁵		12	56,694.77	53,861.71
जोड़ :			3,98,560.98	3,54,792.32

[#]विवरण संख्या 6 से ₹0.01 करोड़ का अंतर, पूर्णांकन के कारण है।

* पूर्णांकित आंकड़े करोड़ में अपनाने के कारण हुई है जैसा कि खंड-1 के अन्य संबंधित विवरणों में दर्शाया गया है।

⁵आँकड़ा ₹56,694.77 करोड़, कुल पूँजीगत तथा अन्य व्यय और निधियों के प्रमुख स्रोतों का निवल परिणाम है। विस्तृत व्योरा विवरणी 12 में दिया गया है।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	संवितरण			
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
अनुभाग-ब : पूँजी				
पूँजीगत प्राप्तियाँ <small>(संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)</small>	0.00	0.00	36,453.02	31,519.82
			(संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)	
			सामान्य सेवाएँ [#] <small>(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)</small>	5,664.42
			सामाजिक सेवाएं <small>(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)</small>	7,000.43
			आर्थिक सेवाएं ⁴ <small>(संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)</small>	23,788.17
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ <small>(संदर्भ. विवरण 3, 7 एवं 18)</small>	95.94	41.49	संवितरित ऋण तथा अग्रिमों <small>(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)</small>	2,135.86
			सामान्य सेवाएं <small>(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)</small>	0.00
			सामाजिक सेवाएं <small>(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)</small>	1,603.09
			आर्थिक सेवाएं <small>(संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)</small>	519.34
			अन्य <small>(संदर्भ. विवरण 7)</small>	13.43
लोक ऋण प्राप्तियाँ <small>(संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)</small>	60,217.54	48,283.52	लोक ऋण की वापसी <small>(संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)</small>	22,979.38
आंतरिक ऋण ⁵ (बाजार ऋण, एन०एस०एस०एफ० आदि) <small>(संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)</small>	49,545.76	38,128.98	आंतरिक ऋण ⁵ (बाजार ऋण, एन०एस०एस०एफ० आदि) <small>(संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)</small>	21,438.71
भारत सरकार से कर्ज <small>(संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)</small>	10,671.78	10,154.54	भारत सरकार से कर्ज <small>(संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)</small>	1,540.67
अन्तर्राज्यीय निपटान लेखा <small>(निवल)</small>	0.00	0.00	अन्तर्राज्यीय निपटान लेखा (निवल) आकस्मिकता निधि का विनियोग^{##} वापस लिखे जाने के कारण प्रविष्टि की कटौती	0.00
समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ** <small>(संदर्भ. विवरण 3)</small>	2,53,660.71	2,21,013.03	समेकित निधि से कुल व्यय⁶ <small>(संदर्भ. विवरण 4)</small>	2,52,082.43
समेकित निधि में घाटा	0.00	10,890.85	समेकित निधि में आधिक्य	1,578.28
				0.00

⁴ वर्ष 2023-24 के लिए सामाजिक सेवाएँ एवं आर्थिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मुख्य शोध 4215, 4515 एवं 4700 से संबंधित वेतनादि पर व्यय □0.01, ₹0.46 करोड़ एवं ₹0.24 करोड़ सन्निहित है।

⁵पुनर्भुगतान से संबंधित राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लेन-देनों की राशि क्रमशः वर्ष 2022-23 में ₹1,888.35 करोड़ एवं 2023-24 के लिए ₹1,888.35 करोड़ का पुनर्भुगतान भी शामिल है।

⁶उचंत खाते अंतर्गत ₹0.18 करोड़ की निवल प्राप्ति एवं ₹771.07 करोड़ के व्यय को शामिल नहीं किया गया है जैसा कि एनटीएफए के पैरा 5(iv) में उल्लेखित है।

विवरण संख्या 5 से ₹0.02 करोड़ का अंतर, पूर्णांकन के कारण है।

*विवरण संख्या 4 क से ₹0.01 करोड़ का अंतर, पूर्णांकन के कारण है।

**विवरण आकस्मिकता निधि अधिनियम के अनुसार, राशि राज्य की समेकित निधि में वापस ले ली गई है। विवरण के लिए, एनटीएफए का पैरा 4 देखें।

***विवरण संख्या 3 से ₹0.01 करोड़ का अंतर, पूर्णांकन के कारण है।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ		संवितरण			
	2023-24	2022-23		2023-24	2022-23
भाग - II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि ^{##} (संदर्भ. विवरण 21)	9,650.00	9,150.00	आकस्मिकता निधि ^{##} (संदर्भ. विवरण 21)	9,650.00	9,150.00
भाग - III लोक लेखा⁸					
अल्प बचत (संदर्भ. विवरण 21)	2,415.84	2,561.26	अल्प बचत (संदर्भ. विवरण 21)	2,671.60	2,686.04
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ (संदर्भ. विवरण 21)	3,863.27	4,290.96	आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ (संदर्भ. विवरण 21)	2,640.55	2,705.85
जमा (संदर्भ. विवरण 21)	96,228.54	74,814.83	जमा (संदर्भ. विवरण 21)	94,999.93	74,410.66
अग्रिम (संदर्भ. विवरण 21)	0.00	0.00	अग्रिम (संदर्भ. विवरण 21)	0.00	0.00
उचंत तथा विविध ⁹ (संदर्भ. विवरण 21)	6,57,276.18	6,28,347.23	उचंत तथा विविध ⁹ (संदर्भ. विवरण 21)	6,61,126.88	6,19,186.22
प्रेषण (संदर्भ. विवरण 21)	0.01	.00	प्रेषण (संदर्भ. विवरण 21)	2.38	0.00
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा (संदर्भ. विवरण 21)	7,59,783.84	7,10,014.28	कुल व्यय लोक लेखा (संदर्भ. विवरण 21)	7,61,441.34	6,98,988.77
लोक लेखा में घटा	1,657.50	0.00	लोक लेखा में अधिशेष	0.00	11,025.51
आदि रोकड़ शेष	805.90	671.24	अंत रोकड़ शेष	726.68	805.90
रोकड़ में वृद्धि	0.00	134.66	रोकड़ में कमी	79.22	0.00

⁸कृपया विस्तृत सूचना के लिए, खण्ड II के विवरणी 21 का संदर्भ लें।

⁹‘उचंत एवं विविध’ में ‘अन्य लेखे’ शामिल हैं, यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) आदि। इन ‘अन्य लेखे’ के कारण आँकड़े वृहद रूप में प्रकट होते हैं। विस्तृत विवरण खण्ड II के विवरणी 21 में देखी जा सकती है।

^{##}बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम के अनुसार, राशि राज्य की समेकित निधि में वापस ले ली गई है। विवरण के लिए, एनटीएफए का पैरा 4 देखें।

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविकी	
	2023-24	2022-23
I- कर तथा करेतर राजस्व		
क.	कर राजस्व	
क. 1	स्वकर राजस्व [§]	48,360.70
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,370.87
	राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी)	27,677.60
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	6,347.64
	माल तथा यात्री कर	(-)1.13
	वाहन कर	3,357.75
	भू-राजस्व	580.19
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	179.96
	राज्य उत्पाद शुल्क	1.15
	अन्य	846.67
क. 2	करों के निवल आगमों का हिस्सा	1,13,604.49
	निगम कर	34,099.01
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	39,379.86
	सेवा कर	21.16
	संघ उत्पाद शुल्क	1,506.54
	सीमा शुल्क	3981.12
	केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी)	34,477.56
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	139.24
	जोड़ - क	1,61,965.19
		1,39,527.58
ख.	करेतर राजस्व	
	ब्याज प्राप्तियाँ	897.00
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,114.79
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूलियाँ	8.42
	लोक सेवा आयोग	307.33
	पुलिस	217.10
	सड़क तथा सेतु	15.78
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4.60
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	45.35
	वानिकी तथा बन्य प्राणी	63.77
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	196.03
	मुख्य सिंचाई	71.60
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3.94
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	39.47
	मध्यम सिंचाई	0.04
	श्रम तथा रोजगार	9.50
	जलापूर्ति तथा सफाई	9.37
	जेल	4.72
	मत्स्य पालन	19.15
	फसल कृषि-कर्म	4.59
	लोक निर्माण कार्य	25.74
		17.22

[§]विवरण संख्या 2 से ₹0.01 करोड़ का अंतर, पूर्णकिन के कारण है।

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

ख.	विवरण	वास्तविकी	
		2023-24	2022-23
सहकारिता		8.88	6.85
शहरी विकास		0.00	3.47
आवास		5.30	4.55
लघु सिंचाई		1.06	3.20
नगर विमानन		0.33	1.43
विविध सामान्य सेवाएं		37.06	1.15
पर्यटन		3.25	2.90
लाभांश तथा लाभ		9.51	1.49
पशुपालन		0.59	0.59
सूचना तथा प्रचार		0.12	0.21
भूमि सुधार		(-)0.01	(-)0.05
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		0.19	0.07
सड़क परिवहन		0.18	0.19
लेखन सामग्री तथा मुद्रण		1.44	0.16
उद्योग		130.78	0.41
ग्रामीण तथा लघु उद्योग		0.02	0.01
सिविल पूर्ति		0.03	0.10
अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन		0.01	0.00
जोड़ - ख*		5,257.03	4,134.90
II- भारत सरकार से अनुदान			
ग.	अनुदान		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	अन्य अनुदान	(-)167.09
	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		17,961.52
	वित्त आयोग अनुदान	राज्य आपदा रिस्पौंस निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	1,248.80
		अन्य अनुदान	6,413.72
	राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	8.94
		राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस निधि में योगदान के लिए अनुदान	0.00
		जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व के क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा	398.19
		केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से अनुदान	258.43
		अन्य अनुदान	2.49
	जोड़ - ग	26,125.00	29,025.54
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)^{§§}	1,93,347.22	1,72,688.02

*विवरण संख्या 2 और 14 से ₹0.02 करोड़ का अंतर, पूर्णकिन के कारण है।

**विवरण संख्या 2 और 14 से ₹0.01 करोड़ का अंतर, पूर्णकिन के कारण है।

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

विवरण		वास्तविकी	
		2023-24	2022-23
III- पूँजीगत, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ			
घ.	पूँजीगत प्राप्तियाँ		
	विनिवेश से प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00
	जोड़ - घ	0.00	0.00
ड.	लोक ऋण प्राप्तियाँ		
	आंतरिक ऋण	49,545.76	38,128.98
	बाजार कर्ज	47,612.00	36,800.00
	आर.बी.आई. से डब्ल्यू.एम.ए. ¹	0.00	0.00
	बंध पत्र	0.00	0.00
	वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	1,933.76	1,328.98
	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष	0.00	0.00
	प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
	अन्य कर्ज	0.00	0.00
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	10,671.78	10,154.54
	योजनेतर कर्ज	0.00	0.00
	राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
	राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	10,671.78	10,154.54
	जोड़ - ड.	60,217.54	48,283.52
च.	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम (वसूलियाँ) ²	95.94	41.49
छ.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ³ (क+ख+ग+घ+ड+च+छ)	2,53,660.70*	2,21,013.03

¹डब्ल्यू.एम.ए.: अर्थोपाय अग्रिम।

²विस्तृत व्यारे खण्ड I के विवरण 7 तथा खण्ड II के विवरण 18 में हैं।

³विस्तृत व्यारे खण्ड I के विवरण 6 तथा 7 तथा खण्ड II के विवरण 14 तथा 17 में हैं।

*विवरण संख्या 2 से ₹0.01 करोड़ का अंतर, पूर्णकिन के कारण है।

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क-प्रयोजनवार व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	कुल
ख.3	जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास				
	जलापूर्ति तथा सफाई	7,691.58	1,002.63	0.00	8,694.21
	आवास	747.93	677.30	0.00	1,425.23
	शहरी विकास	8,788.40	0.00	0.00	8,788.40
ख.4	सूचना तथा प्रसारण				
	सूचना तथा प्रचार	213.59	0.00	0.00	213.59
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	975.10	49.26	0.00	1,024.36
ख.6	श्रमिक तथा श्रम कल्याण				
	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	604.42	0.00	0.00	604.42
ख.7	समाज कल्याण तथा पोषण				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	7,472.04	3.00	0.00	7,475.04
	पोषण	1,997.87	0.00	0.00	1,997.87
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	2,859.12	0.00	0.00	2,859.12
ख.8	अन्य				
	अन्य सामाजिक सेवाएं	46.14	105.47	0.00	151.61
	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	99.46	0.00	0.00	99.46
	जोड़ - सामाजिक सेवाएँ**	83,225.12	7,000.43	1,603.09	91,828.64
ग	आर्थिक सेवाएं				
ग.1	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप				
	फसल कृषि-कर्म	1,794.11	(-)32.69	0.00	1,761.42
	मृदा तथा जल संरक्षण	59.12	0.00	0.00	59.12
	पशुपालन	646.92	84.91	0.00	731.83
	डेरी विकास	196.26	0.00	0.00	196.26
	मछली पालन	341.09	0.00	0.00	341.09
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	370.32	63.02	0.00	433.34
	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	437.23	22.52	0.00	459.75
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	499.66	0.00	0.00	499.66
	सहकारिता	659.84	3.36	11.54	674.74
	अन्य कृषि कार्यक्रम	13.44	0.00	0.00	13.44
ग.2	ग्राम विकास				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2,596.95	0.00	0.00	2,596.95
	ग्राम रोजगार	3,180.26	0.00	0.00	3,180.26
	भूमि सुधार	4.54	0.00	0.00	4.54
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	12,341.41	7,083.98	5.97	19,431.36
C.3	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
	मुख्य सिंचाई	649.46	2,852.38	0.00	3,501.84
	मध्यम सिंचाई	0.16	0.00	0.00	0.16
	लघु सिंचाई	207.77	821.01	0.00	1,028.78
	कमान क्षेत्र विकास	19.44	0.00	0.00	19.44
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	629.32	2,202.41	0.00	2,831.73

** सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय विवरण संख्या 2 तथा 15 से ₹0.02 करोड़ का अंतर, पूर्णकरण के कारण है।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2022-23 के दोरान व्यय	"2022-23"तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दोरान व्यय	"2023-24"तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कम (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(क)	सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा					
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	16.64	337.11	23.95	361.06	43.93
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	574.40	4,773.64	923.76	5,697.40	60.82
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	2.96	3.51	6.47	0
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,596.45	12,662.86	3,270.68	15,933.54	104.87
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,067.39	10,627.37	1,442.51	12,069.88	35.14
जोड़ : क. सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा [§]		3,254.88	28,403.94	5,664.41	34,068.35	74.03
(ख)	सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा					
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,315.54	10,815.97	2,987.77	13,803.74	127.11
जोड़ - (क)		1,315.54	10,815.97	2,987.77	13,803.74	127.11
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	2,426.48	11,240.64	2,175.00	13,415.64	(-)10.36
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	35.48	0.00	35.48	0
जोड़ - (ख)		2426.48	11,276.12	2,175.00	13,451.12	(-)10.36
(ग)	जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा					
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,310.02	19,909.95	1,002.63	20,912.58	(-)23.46
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	314.25	1,869.86	677.30	2,547.16	115.53
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	150.27	0.00	150.27	0
जोड़ - (ग)		1,624.27	21,930.08	1,679.93	23,610.01	3.43
(घ)	सूचना तथा प्रसारण का पूँजीगत लेखा					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	8.80	0.00	8.80	0
जोड़ - (घ)		0.00	8.80	0.00	8.80	0

[§]विवरण संख्या 2 से ₹0.01 करोड़ का अंतर, पूर्णकिन के कारण है।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2022-23 के दोरान व्यय	"2022-23"तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दोरान व्यय	"2023-24"तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कम (-) प्रतिशत में
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
(ड)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा					
4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	73.58	702.99	49.26	752.25	(-)33.05
	जोड़ - (ड)	73.58	702.99	49.26	752.25	(-)33.05
(च)	समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	509.83	1,630.37	3.00	1,633.37	(-)99.41
	जोड़ - (च)	509.83	1,630.37	3.00	1,633.37	(-)99.41
(छ)	अन्य सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा					
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	17.60	1,108.74	105.47	1,214.21	499.26
	जोड़ - (छ)	17.60	1,108.74	105.47	1,214.21	499.26
	जोड़ : ख. सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	5,967.30	47,473.07	7,000.43	54,473.50	17.31
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा					
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा					
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	480.55	935.03	(-)32.69	902.34	(-)106.80
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	14.30	0.00	14.30	0
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	10.88	84.91	95.79	0
4404	डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	13.81	0.00	13.81	0
4405	मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.91	0.00	1.91	0
4406	वानिकी तथा बन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	61.14	480.50	63.02	543.52	3.07
4408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय	97.70	1,233.60	22.52	1,256.12	(-)76.95
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.78	0.00	0.78	0
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	9.89	743.51	3.36	746.87	(-)66.03
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	26.61	0.00	26.61	0
	जोड़ - (क)	649.28	3,460.93	141.12	3,602.05	(-)78.27

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्षक	वर्णन	2022-23 के दोरान व्यय	"2022-23" तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दोरान व्यय	"2023-24" तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कम (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(ख)	ग्राम विकास का पूँजीगत लेखा					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	6,218.08	57,570.60	7,083.98	64,654.58	13.93
	जोड़ - (ख)	6,218.08	57,570.60	7,083.98	64,654.58	13.93
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,207.61	14,072.49	2,852.38	16,924.87	136.20
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	7,327.91	0.00	7,327.91	0
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	460.03	3,498.59	821.01	4,319.60	78.47
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.58	0.00	0.58	0
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	983.93	14,018.33	2,202.41	16,220.74	123.84
	जोड़ - (घ)	2,651.57	38,917.90	5,875.80	44,793.70	121.60
(ड)	ऊर्जा का पूँजीगत लेखा					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,078.71	38,734.77	1,782.31	40,517.08	(-)42.11
4810	नई और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.50	136.00	137.50	0
	जोड़ - (ड)	3,078.71	38,736.27	1,918.31	40,654.58	(-)37.69
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	1,392.24	1,586.00	419.90	2,005.90	(-)69.84
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	43.72	0.00	43.72	0
4855	उर्वरक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.36	0.00	1.36	0
4857	रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	9.00	0.00	9.00	0
4858	इंजीनियरी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.88	0.00	0.88	0
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	130.83	844.09	202.31	1,046.40	54.64
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	54.86	0.00	54.86	0
4875	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.24	0.00	0.24	0
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	170.00	1,963.35	100.00	2,063.35	(-)41.18
	जोड़ - (च)	1693.07	4,503.50	722.21	5,225.71 *	(-)57.34

*विवरण संख्या 16 से ₹0.01 करोड़ का अंतर, पूर्णकरण के कारण है।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2022-23 के दोरान व्यय	"2022-23"तक प्रगामी व्यय	2023-24 के दोरान व्यय	"2023-24"तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कम (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा						
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	769.18	65.05	834.23	0
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	6,601.92	66,439.61	6,931.88	73,371.49	5.00
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	7.76	134.30	12.44	146.74	60.31
5075	अन्य परिवहन सेवाएं	959.00	2,231.45	590.00	2,821.45	(-)38.48
		जोड़ - (छ)	7,568.68	69,574.54	7,599.37	77,173.91
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा						
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	203.14	1,034.70	273.05	1,307.75	34.41
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	676.83	65.00	741.83	0
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	235.11	533.75	109.32	643.07	(-)53.50
		जोड़ - (ज)	438.25	2,245.28	447.37	2,692.65
		जोड़ : ग. आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	22,297.64	2,15,009.02	23,788.16 [#]	2,38,797.18
		जोड़ : व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	31,519.82	2,90,886.03 [*]	36,453.00 ^{\$}	3,27,339.03 [*]
						15.65

[#]विवरण संख्या 2 से ₹0.01 करोड़ का अंतर, पूर्णकिन के कारण है।

^{*}14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार का पूँजीगत व्यय (₹11,935.23 करोड़) सम्मिलित है, जिसका विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2024)।

^{\$}संक्षिप्त विवरण संख्या 5 और विस्तृत विवरण संख्या 16 के बीच ₹0.02 करोड़ का अंतर, पूर्णकिन के कारण है।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- पूँजीगत परिव्यय का विस्तृत ब्योरा खण्ड-II के विवरण संख्या 16 में दिया गया है।
- वर्ष 2023-24 के अंत तक ₹3,27,339.05 करोड़ की कुल पूँजी परिव्यय, जिसमें संयुक्त बिहार के लिए 14 नवम्बर 2000 तक का ₹11,935.23 करोड़ का प्रगामी परिव्यय सम्मिलित है, जिसका विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2024)।
- सार्विधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों में सरकारी निवेश के ब्योरे खण्ड-II के विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।
- सिंचाई योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय मुख्य शीर्ष “4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय तथा 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत दिखाये गये हैं। चार योजनाएँ जिसे वाणिज्यिक घोषित की गई हैं, उनके वित्तीय परिणाम खण्ड-II के परिशिष्ट VIII में दिखाये गये हैं।
- 2 अप्रैल 1973 को बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना के साथ अन्न आपूर्ति योजना निगम को स्थानांतरित कर दी गई है, स्थानांतरित परिसम्पत्तियों और दायित्वों के मूल्य को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
- सरकार के निवेश-वर्ष 2023-24 में सरकार ने ₹2,488.35 करोड़ का निवेश किया। सार्विधिक निगम सहित सरकारी कंपनियों में ₹1,883.31 करोड़, ज्वाइट स्टोक कंपनी एवं पार्टनरशिप में ₹600.00 करोड़ तथा सहकारी संस्थाओं में तथा स्थानीय निकाय में ₹5.04 करोड़ निवेश किया गया। वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में विभिन्न संस्थाओं के हिस्सा पूँजी में सरकार द्वारा क्रमशः ₹35,436.02 करोड़, ₹39,024.62 करोड़ तथा ₹41,512.97 करोड़ का कुल निवेश किया गया।

14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार के कुल निवेश (₹655.94 करोड़) का विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2024)।

अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्राप्त लाभांश से संबंधित सूचना निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त लाभांश/ब्याज (₹ करोड़ में)
2021-2022	6.54
2022-2023	1.49
2023-2024	9.51

विवरण 6: उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- ऋण शोधन की व्यवस्था :** 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008-09 में एक निष्केप निधि सृजित की गई है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 तक ₹8,494.66 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।
- अल्प बचत निधि से कर्ज़ :** डाकघर में 'अल्प बचत योजनाओं' एवं 'लोक भविष्य निधि' की वसूली में से कर्ज को राज्य एवं केन्द्र सरकारों के बीच 3:1 अनुपात में हिस्सेदारी के रूप में बाँटा जा रहा है। अल्प बचत वसूलियों से कर्ज को विमुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि यथा 'राष्ट्रीय अल्प बचत निधि' का निर्माण किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान कोई नया कर्ज नहीं प्राप्त किया गया केवल ₹1,888.35 करोड़ के कर्ज की अदायगी वर्ष के दौरान की गई। वर्ष के अन्त तक शेष बकाया ₹10,188.90 करोड़ था जो 31 मार्च 2024 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण का 3.64 प्रतिशत था।
- भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम, बाजार ऋण इत्यादि :** भारत सरकार से प्राप्त कर्जों का व्योग खण्ड-II के विवरण 17 में दिये गये हैं।
- ऋण शोधन कार्य**

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज- वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व तथा निवल ब्याज प्रभार जिसे राजस्व से पूरा किया गया, निम्नवत थे:-

	2023-24	2022-23	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)
	(₹करोड़ में)		
(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	2,89,225.01	2,52,242.61	36,982.40
(ख) अन्य दायित्व	43,515.89	41,064.56	2,451.33
जोड़ (i)	3,32,740.90	2,93,307.17	39,433.73
(ii) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर	17,594.05	15,178.31	2,415.74
(ख) अन्य दायित्वों पर	11.75	5.22	6.53
जोड़ (ii)	17,605.80	15,183.53	2,422.27
(iii) घटाएं			
(क) सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	9.38	8.65	0.73
(ख) रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त किया गया ब्याज	264.34	276.23	(-11.89)
(ग) जमा निधि से ब्याज प्राप्ति	0.00	0.00	0.00
जोड़ (iii)	273.72	284.88	(-11.16)
(iv) ब्याज प्रभारों की निवल राशि	17,332.08	14,898.65	2,433.43
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में सकल ब्याज {मद(kx)}'की प्रतिशतता	9.11	8.79	0.32
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में निवल ब्याज {मद(kx)}'की प्रतिशतता	8.96	8.63	0.33

अन्य प्राप्तियाँ तथा समायोजनों में इसके अतिरिक्त ₹623-28 करोड़ 'विविध' लेखा पर ब्याज सम्मिलित थे। अगर इन्हें घटा दिया जाय तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹16,708.80 करोड़ होगा जो राजस्व का 8.64 प्रतिशत आता है।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹9.51 करोड़ विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर लाभांश के रूप में प्राप्त किया गया।

विवरण 7: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण

भाग 1: ऋण और अग्रिमों का सारांश - ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल, 2023 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2024 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल बृद्धि (+)/कमी (-) (6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय/अकादमी संस्थान	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	386.85	0.00	0.00	0.00	386.85	0.00	63.40
आवास बोर्ड	127.47	0.00	0.00	0.00	127.47	0.00	6.40
सरकारी कम्पनियाँ	9,466.26	1,689.82	53.94	0.00	11,102.14	1,635.88	7,944.64
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	805.85	11.54	18.78	0.00	798.61	(-7.24)	1,058.78
पंचायती राज संस्थायें	57.63	5.97	0.00	0.00	63.60	5.97	39.69
सांविधिक निगम	13,111.81	0.00	0.00	0.00	13,111.81	0.00	4,970.14
सरकारी सेवक	114.41	13.43	23.20	0.00	104.64	(-9.77)	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
अन्य	1,133.73	415.10	0.01	0.00	1,548.82	415.09	1,210.36
जोड़	25,209.64	2,135.86	95.93*	0.00	27,249.57	2,039.93	15,293.41

निम्नलिखित ऋण के मामलों को 'शाश्वत ऋण' के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश सं०	राशि	ब्याज दर
“सूचना उपलब्ध नहीं”					

*विवरण संख्या 2 से ₹0.01 करोड़ का अंतर, पूर्णांकन के कारण है। विवरण के लिए, कृपया खंड II में विवरण 18 देखें।

विवरण 7: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण

भाग 2 : ऋण और अग्रिमों का सारांश- क्षेत्रवार

(₹ in crore)

क्षेत्र	1 अप्रैल, 2023 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2024 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाएं	4,233.21	1,603.09	51.10	0.00	5,785.20	1,551.99	109.49
आर्थिक सेवाएं	20,861.17	519.34	21.63	0.00	21,358.88	497.71	15,183.92
सरकारी कर्मचारी	114.41	13.43	23.20	0.00	104.64	(-9.77)	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
जोड़	25,209.64*	2,135.86	95.93*	0.00	27,249.57	2,039.93	15,293.41

भाग 3: ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2024 को बकाया राशि**			शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है**	31 मार्च 2024 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	19.54	63.40	82.94	2001-02	386.85
आवास बोर्ड	4.75	6.40	11.15	2001-02	127.47
सरकारी कम्पनियाँ	6,501.30	7,944.64	14,445.94	2001-02	11,102.14
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगमें/बैंक	249.01	1,058.78	1,307.79	2001-02	798.61
पंचायती राज संस्थायें	17.47	39.69	57.16	2001-02	63.60
साविधिक निगम	3,800.63	4,970.14	8,770.77	2001-02	13,111.81
अन्य	258.73	1,210.36	1,469.09	2001-02	1548.82
जोड़	10,851.43	15,293.41	26,144.84		27,139.30

* कुल ₹0.01 करोड़ का अंतर, पूर्णांक के कारण है। विवरण के लिए, कृपया खंड II में विवरण 18 देखें।

** वर्ष 2000-01 तक बकाया राशि ₹3,446.27 करोड़ (मूलधन ₹1,522.50 करोड़ तथा ब्याज ₹1,923.77 करोड़) विवरणी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।

नोट: राज्य सरकार से मिलान अभी भी प्रतीक्षित है।

विवरण 8: सरकार के निवेशों का विवरण

2022-23 तथा 2023-24 में विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	संस्था का नाम	2023-24			2022-23		
		संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज
1	सार्विधिक निगम	3	105.63	0.00	3	105.63	0.00
2	ग्रामीण बैंक	1	30.19	0.00	1	30.19	0.00
3	सरकारी कम्पनियाँ	46	38,271.59	2.11	46	36,388.28	0.01
4	अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ और साझेदारी	12	2,462.76	0.00	12	1,862.76	0.00
5	सहकारी संस्था एवं स्थानीय निकाय	17	642.80	7.40	17	637.76	1.48
जोड़		79	41,512.97	9.51	79	39,024.62	1.49

विवरण 9: सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के सेक्टर वार विवरण और विभिन्न सेक्टर में 31 मार्च 2024 को बकाया गारंटी की रकम नीचे दिखायी गयी है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	सेक्टर (गारंटियों की संख्या कोष्ठक के अन्दर)	गारंटी की अधिकतम राशि		वर्ष 2023-24 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष के दौरान विलोपन (माँग को छोड़कर)	वर्ष के दौरान लागू		वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया		गारंटियों का कमीशन या शुल्क		अन्य विषयक विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			मुक्त किया गया	मुक्त नहीं किया गया	मूलधन	ब्याज	प्राप्त योग्य	प्राप्त	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	बिजली (*)	21,651.26	1,258.13	13,007.96	561.93	4,123.12	224.48	*	*	16,906.60	1,258.13	*	*	*
2	सहकारिता (*)	8,718.40	*	3,604.38	48.52	800.00	4,014.91	*	*	389.47	3.88	*	*	*
4	कोई अन्य (*)	20,055.00	*	8,644.41	72.05	21,436.22	20,661.44	*	*	9,419.19	63.68	7.75	36.05	*
जोड़		50,424.66	1258.13	25,256.75	682.50	26,359.34	24,900.83	0.00	0.00	26,715.26	1,325.69	7.75	36.05	*

टिप्पणी: विवरणी 14 के अनुसार मुख्यशीर्ष 0075-00-108 अंतर्गत, कुल गारंटी शुल्क ₹36.05 करोड़ प्राप्त हुई है।

* राज्य सरकार से सूचना अप्राप्त है।

विवरण 10: सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(ii) वस्तु रूप में दिये गये सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदेयी का नाम/श्रेणी	वस्तु के रूप में कुल सहायता अनुदान का मूल्य	वस्तु के रूप में सहायता अनुदान जो पूँजीगत परिसंपत्ति के स्वरूप में हो, का मूल्य	2022-23 2023-24
		2023-24	2022-23	
1.	पंचायती राज संस्थाएँ			
	(i) जिला परिषद्			
	(ii) पंचायत समितियाँ			
	(iii) विकास प्राधिकरण			
	(iv) ग्राम पंचायत			
2.	शहरी स्थानीय निकाय			
	(i) नगर निगम			
	(ii) नगरपालिका / नगर परिषद्			
	(iii) नगर पंचायत			
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
	(i) सरकारी कंपनियाँ			
	(ii) विकास प्राधिकरण			
	(iii) सार्विधिक निगम			
4.	स्वायत्त संस्थाएँ			
	(i) विश्वविद्यालय			
	(ii) विकास प्राधिकरण			
	(iii) सहकारी संस्थाएँ			
	(iv) अन्य			
5.	गैर सरकारी संगठन			
	(i) विकास प्राधिकरण			
	(ii) अन्य			
	कुल			

विवरण 11: दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

व्यये	वास्तविकी					
	2023-24			2022-23		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	19,537.56	1,70,976.61	1,90,514.17	16,787.46	1,67,188.76	1,83,976.22
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	0.00	36,453.02	36,453.02	0.00	31,519.82	31,519.82
लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिमों, अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अधीन भुगतानों और आकस्मिकता निधि को अंतरण (क)	22,979.38	2,135.86	25,115.24	14,351.07	2,056.77	16,407.84
जोड़ :	42,516.94	2,09,565.49	2,52,082.43	31,138.53	2,00,765.35	2,31,903.88
(क) आँकड़े निम्नवत् परिणामित किए गए हैं:						
छ. लोक ऋण						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	21,438.71	0.00	21,438.71	12,886.20	0.00	12,886.20
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा उधार	1,540.67	0.00	1,540.67	1,464.87	0.00	1,464.87
च. कर्ज तथा उधार*						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	1,603.09	1,603.09	0.00	1,396.92	1396.92
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	519.34	519.34	0.00	632.93	632.93
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	0.00	13.43	13.43	0.00	26.92	26.92
विविध प्रयोजनों के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छ. अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ज. आकस्मिकता निधि को अंतरण						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ : (क)	22,979.38	2,135.86	25,115.24	14,351.07	2,056.77	16,407.84
(i) 2022-23 तथा 2023-24 में हुए कुल व्यय से प्रभारित एवं दत्तमत व्यय की प्रतिशतता निम्नवत् थी:-						
वर्ष	कुल व्यय की प्रतिशतता					
		प्रभारित			दत्तमत	
2022-23		13.43			86.57	
2023-24		16.87			83.13	

*विस्तृत लेखा खण्ड-II में विवरण 18 में दिए गए हैं।

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय			
पूँजीगत व्यय (उप-क्षेत्रवार)			
सामान्य सेवाएं	28,950.38	5,716.12	34,666.50
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	11,009.01	3,211.15	14,220.16
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	11,486.47	2,237.52	13,723.99
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	22,834.32	1,717.66	24,551.98
सूचना तथा प्रसारण	8.98	0.00	8.98
अनुपूचित जातियों, अनुपूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	753.98	53.12	807.10
समाज कल्याण तथा पोषण	1,768.60	209.53	1,978.13
अन्य सामाजिक सेवाएं	1,235.54	124.39	1,359.93
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	3,498.71	289.80	3,788.51
ग्रामीण विकास	60,949.14	7,091.51	68,040.65
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	40,670.96	5,876.02	46,546.98
ऊर्जा	38,736.27	2,089.24	40,825.51
उद्योग तथा खनिज	4,518.31	737.22	5,255.53
परिवहन	71,166.74	7,613.90	78,780.64
सामान्य आर्थिक सेवाएं	2,434.05	455.52	2,889.57
सकल पूँजीगत व्यय	3,00,021.46	37,422.70	3,37,444.16
घटाएं-अधिक भुगतान की वसूलियाँ	(-9,134.33)	(-969.68)	(-10,104.01)
विकास निधियों, आरक्षित निधियों आदि से अंशदान	(-).10	0.00	(-).10
निवल पूँजीगत व्यय [#]	2,90,886.03	36,453.02	3,27,339.05
ऋण तथा अग्रिम			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3,752.15	1,551.99	5,304.14
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	467.24	0.00	467.24
समाज कल्याण तथा पोषण	13.70	0.00	13.70
अन्य	0.12	0.00	0.12

[#]विवरण संख्या 5 से ₹0.02 करोड़ का अंतर, पूर्णकरन के कारण है।

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	2,568.80	(-)7.25	2,561.55
ग्रामीण विकास	59.86	5.97	65.83
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	55.61	0.00	55.61
ऊर्जा	16,034.13	83.89	16,118.02
उद्योग तथा खनिज	1,948.61	415.09	2,363.70
परिवहन	16.31	0.00	16.31
सामान्य आर्थिक सेवाएं	177.86	0.00	177.86
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	114.40	(-)9.77	104.63
विविध कार्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.85
जोड़ : ऋण तथा अग्रिम	25,209.64	2,039.92	27,249.56
अन्तर्राजीय परिशोधन	(-)74.01	0.00	(-)74.01
जोड़ : पूँजीगत तथा अन्य व्यय	3,16,021.66	38,492.94	3,54,514.60
घटाएं -			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	0.00	0.00	0.00
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	0.00	0.00	0.00
निवल पूँजीगत तथा अन्य व्यय	3,16,021.66	38,492.94	3,54,514.60
निधियों के प्रमुख स्रोत			(ट)
ऋण-			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	2,08,098.10	28,107.05	2,36,205.15
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	34,747.63	9,131.11	43,878.74
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,396.89	(-)255.76	9,141.13
जोड़ : ऋण	2,52,242.62	36,982.40	2,89,225.02
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	350.00	0.00	350.00
आरक्षित निधि	2,626.60	1,222.72	3,849.32
जमा तथा अग्रिम	38,188.00	1,228.61	39,416.61
उचंत तथा विविध (सरकारी लेखे में संवृत एवं रोकड़ शोष निवेश लेखा से भिन्न राशि)	(-)15,245.59	8,841.57	(-)6,404.02

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
प्रेषण	(-)1,125.96	(-)2.37	(-)1,128.33
जोड़ : अन्य दायित्व	24,793.05	11,290.53	36,083.58
जोड़ : ऋण एवं अन्य दायित्व	2,77,035.67	48,272.93	3,25,308.60
घटाएं-रोकड़ शेष	805.90	(-)79.22	726.68
घटाएं-निवेश	14,069.82	12,692.27	26,762.09
जोड़- 2022-23 के दौरान सरकारी लेखे में संवृत राशि	0.00	0.00	0.00
निधियों का निवल प्रावधान	2,62,159.95	35,659.88	2,97,819.83 (ठ)

घटाएं- 2023-24 के लिए राजस्व आधिक्य (+)/घटा (-) 2,833.06

जोड़ें-वापसी/विनिवेश खाते में समायोजन 0.00

निधियों का निवल प्रावधान 35,659.88

सकल निवल पूँजीगत तथा अन्य व्यय 3,54,514.60

सकल निधियों के प्रमुख स्रोत 2,97,819.83

अंतर 56,694.77

(क) 31 मार्च 2024 को निवल पूँजी तथा अन्य व्यय (ट) और निधियों का निवल प्रावधान (ठ) के बीच ₹56,694.77 करोड़ का अंतर था, जिसकी व्याख्या नीचे की

1. 31 मार्च 2023 को संचित राजस्व अधिशेष	48,056.84
2. वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व अधिशेष	2,833.06
3. बिहार एवं पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का रोकड़ शेष अंतरण) अधिनियम, 1956 के अधीन पश्चिम बंगाल को अंतरित शेषों का निवल प्रभाव, लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन, अशुद्धियों के सुधार एवं लेखाओं के वर्गीकरण का पुनर्गठन तथा 2000-01 (1 अप्रैल 2000 से 14 नवम्बर 2000) की अवधि तक सरकारी लेखे में संवृत शेषों के फलस्वरूप प्रोफार्मा रूप से पृथक शेष/व्यय (-)185.80	(-)185.80
4. झारखण्ड राज्य को अंतरित रोकड़ शेष (दिनांक 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 का लेखा)	28.73
5. झारखण्ड राज्य हेतु विभाजित आंतरिक ऋण 2,211.70	2,211.70
6. झारखण्ड राज्य हेतु विभाजित केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 3,750.24	3,750.24
जोड़	56,694.77

विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार

क. 31 मार्च 2024 को शेषों का सार निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे का खंड	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि	
2,70,644.27 *	क से घ और ठ का भाग (केवल मुख्य शीर्ष 8680)	सरकारी लेखा	
	ड	लोक ऋण	2,80,083.89
27,249.57	च	ऋण तथा अग्रिम अन्तर्राज्यीय परिशोधन	74.01
		आकस्मिकता निधि	
		आकस्मिकता निधि	350.00
		लोक लेखा	
	झ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,141.12
	ज	आरक्षित निधि	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	3,849.32
		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	8,494.66
		सकल शेष	12,343.98
8,494.66		निवेश	
	ट	जमा तथा अग्रिम	
		(i) ब्याज वाली जमा	9.72
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	39,656.85
249.96		(iii) अग्रिम	
	ठ	उच्चत तथा विविध	
26,762.09		निवेश	
6,610.64		अन्य मदें (निवल)	206.63
1,128.33	ड	प्रेषण	
726.68	ढ	रोकड़ शेष ^(क)	
3,41,866.20		जोड़	3,41,866.20

*इस आँकड़े को किस प्रकार परिगणित किया गया है, के लिए कृपया अगले पृष्ठ पर 'ख' देखी जाय।

(क) "रिजर्व बैंक जमा के संबंध में, जो सरकार के रोकड़ शेष का एक घटक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित तथा लेखा में प्रदर्शित राशि के बीच में अन्तर था। विस्तृत व्यौरे के लिए विवरणी 2 के अनुबंध के पाद टिप्पणी (1) का संदर्भ लिया जा सकता है।"

विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार

ख. सरकारी लेखा: सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही-खाता रखने की प्रणाली के अनुसार राजस्व और पूँजीगत शेषों के अंतर्गत पुस्ताकित राशियाँ तथा सरकार के अन्य लेन देन, जिनके शेष लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं लाये जाते, एक ही शीर्ष में संवरित किए जाते हैं जिसे “सरकारी लेखा” कहा जाता है। इस शीर्ष का शेष ऐसे हीं सभी लेन देनों के संचयी परिणाम का द्योतक है।

इसमें लोक-ऋण, ऋण तथा अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा को छोड़कर), प्रेषण और आकस्मिकता निधि के शेषों को जोड़कर वर्ष के अंत में शेष निकाला और सिद्ध किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्षों में सरकारी पुस्तकों के उन सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किये गये हैं, जिनमें सरकार पर प्राप्त किये गये धन को वापस करने का दायित्व होता है या जहाँ सरकार भुगतान की गई रकम वसूल करने का दावा रखती है और इसके साथ ही ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी शामिल हैं, जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समायोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं।

यह समझ लेना आवश्यक है कि इन शेषों को बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके अन्तर्गत भूमि, इमारतें, संचार व्यवस्था आदि जैसी राज्य की भौतिक परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है और न इनमें ऐसी संचित देय राशियों का बकाया या देयताओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण किए जाने वाले रोकड़ पद्धति के लेखे के अन्तर्गत हिसाब में नहीं लाया जाता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखा के नामे निवल राशि निम्नानुसार परिणित किया गया है-

नामे		विवरण	(₹ करोड़ में)
	क.	1 अप्रैल 2022 को सरकारी लेखा में डेबिट की राशि	
2,37,024.31	ख.	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,93,347.23
	ग.	प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
1,90,514.17	घ.	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
36,453.02	ड.	व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
	च.	उचंत और विविध	
		(विविध सरकारी लेखा)	
	छ.	सरकारी लेखे में डेबिट की गई राशि	
		31 मार्च 2024 को	2,70,644.27
4,63,991.50		जोड़	4,63,991.50

(i) कई मामलों में “प्राप्ति, संवितरण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा” (खण्ड II) के विवरण संख्या 14, 15, 17, 18 तथा 21) के प्रतिवेदित विवरण के अन्तर्शेष में असमाधानित अन्तर होता है तथा जिसे अलग रजिस्टर में दिखाया जाता है अथवा अन्य अभिलेख लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए संधारित किया जाता है। विसंगतियों के निराकरण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) प्रत्येक वर्ष शेषों के सत्यापन एवं अभिस्वीकृति के लिए संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है। बहुत से मामलों में ऐसी अभिस्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) मामले जहाँ शेषों की अभिस्वीकृति में विलम्ब किया गया है और जहाँ सम्बद्ध राशि विचाराधीन है, खण्ड-II के परिशिष्ट VII के तालिका 1 में अंकित किए गये हैं।

(iv) मामले जहाँ शेषों के समाधान के लिए व्योरे/दस्तावेज प्रतीक्षित हैं, खण्ड-II के परिशिष्ट VII के तालिका 2 में विस्तार से वर्णित हैं।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(i) रिपोर्टिंग इकाई:

ये लेखे बिहार सरकार के लेन-देन का विवरण प्रस्तुत करते हैं। बिहार सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को 43 कोषागारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के आधार पर संकलित किया गया है। 618 लोक निर्माण कार्य प्रभागों यथा भवन निर्माण (62), पथ निर्माण (78), जल संसाधन (245), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (58), योजना एवं विकास (पंचायती राज) (57), ग्रामीण कार्य (118) एवं 49 वन प्रमण्डलों के लेनदेन कोषागार लेखा में शामिल किये गये हैं। वर्ष की समाप्ति पर कोई भी लेखा विलोपित नहीं किया गया है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि:

इन लेखों की रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है।

(iii) रिपोर्टिंग मुद्रा:

बिहार सरकार के लेखे भारतीय रूपये (₹) में रिपोर्ट किए जाते हैं।

(iv) लेखा प्रारूप:

संघ और राज्यों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 150 के अधीन उसी प्रारूप में रखा जाता है जिस प्रारूप में राष्ट्रपति महोदय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द “स्वरूप” का विस्तृत अर्थ होता है, इसलिए नहीं कि इसमें लेखाओं के रखे जाने वाले विस्तृत स्वरूप का निर्धारण सम्मिलित है, बल्कि इसलिए भी कि यह लेखा शीर्ष के चयन का आधार होता है जिसमें संव्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है एवं लेखा-चार्ट तैयार किए जाते हैं।

(v) बजट एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का आकलित विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण (जिसे बजट कहा जाता है) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अनुदान/विनियोग के रूप में विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बजट वसूलियों एवं प्राप्तियों के बिना सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी को समायोजन करने की अनुमति दी जाती है। बजट एवं लेखा शीर्ष के सभी अनुदान/विनियोग, जिनकी शेष राशि अग्रेषित नहीं की जाती है, वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं।

बजट एवं लेखे: राज्य के बजट और लेखे दोनों की लेखाकरण की अवधि, नकद आधारित लेखा प्रणाली एवं वर्गीकरण समान हैं। लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर लेखा महानियंत्रक द्वारा लघु शीर्ष के स्तर तक अधिसूचित मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं। लघु शीर्षों से नीचे का वर्गीकरण प्रत्येक राज्य में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार है।

विनियोग लेखा के रूप में एक पृथक बजट तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अनुदान/विनियोग का सही-सही संवितरण होता है। विनियोग लेखे सकल आधार पर प्रस्तुत किये जाते हैं तथा वित्त लेखे में निवल आँकड़ों के मिलान हेतु विनियोग लेखे में समाधान विवरणी को शामिल किया जाता है।

नकद आधारित: लेखे, कुछ अधिकृत पुस्त समायोजनों को छोड़कर, लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्ति एवं संवितरण को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में प्राप्ति एवं संवितरण में वसूली, कटौती एवं वापसी निवल आधार पर दर्शाये जाते हैं।

पुस्त समायोजन: पुस्त समायोजन गैर-नकद लेन-देन हैं जो लेखा में समायोजन/निपटान के रूप में होते हैं। वेतन से कटौती एवं वसूली का राजस्व प्राप्ति/ऋण/लोक लेखा में समायोजन के लिए, लोक लेखा एवं समेकित निधि के बीच धन अंतरण के लिए 'शून्य' बिल आदि कुछ लेन-देन लेखा इकाई यथा; कोषागारों, प्रमण्डलों आदि स्तर पर किए जाते हैं।

पुस्त समायोजन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में भी किये जाते हैं। अन्य के साथ, इनमें समेकित निधि में डेबिट करते हुए लोक लेखा में निधि निर्माण एवं अंशदान (जैसे; राज्य आपदा मोचन निधि, केंद्रीय सड़क तथा अवसंरचना निधि, निक्षेप निधि आदि); समेकित निधि में डेबिट करते हुए लोक लेखा के जमा लेखा शीर्ष में क्रेडिट एवं मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियाँ भुगतान डेबिट करते हुए सामान्य भविष्य निधि एवं राज्य सरकार समूह बीमा स्कीम पर ब्याज का वार्षिक समायोजन लोक लेखा में संगत मुख्य शीर्ष में क्रेडिट केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार की योजना के तहत ऋण माफी का समायोजन, आकस्मिक निधि की प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं।

पूँजी एवं राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण: स्थायी प्रकृति की मूर्त आस्तियों के अर्जन में (सरकारी संस्था में प्रयोग के लिए एवं व्यवसाय की सामान्य तरह की बिक्री के लिए नहीं) या मौजूदा आस्तियों की उपयोगिता में वृद्धि में महत्वपूर्ण व्यय व्यापक रूप से पूँजी व्यय के अन्तर्गत आते हैं। परिसम्पत्तियों को चालू स्थिति में रखने, उसके अनुरक्षण, मरम्मत, रख-रखाव एवं कार्य पर होने वाले व्यय, स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय सहित संगठन के कार्य के लिए दिन-प्रतिदिन होने वाले अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय के अन्तर्गत आते हैं। लेखा में पूँजी एवं राजस्व व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

भौतिक एवं वित्तीय परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व: भौतिक परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों (जैसे सरकार द्वारा किए गए निवेश, ऋण एवं अग्रिम आदि) के साथ-साथ देयता जैसे-ऋण आदि का मापन परंपरागत लागत पर किया जाता है। भौतिक परिसंपत्तियों का मूल्यहास नहीं होता एवं वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित नहीं की जाती हैं। भौतिक परिसंपत्तियों के जीवन के अंत तक उसमें हानि नहीं माने जाते हैं।

सहायता अनुदान: भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएएस) 2: सहायता अनुदान का लेखाकरण एवं वर्गीकरण के अनुपालन में नकद सहायता अनुदान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत मामलों को छोड़कर संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में मानी जाती हैं चाहें इसमें अनुदेयी द्वारा परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल क्यों न हो। प्राप्त सभी अनुदान राजस्व प्राप्ति के रूप में माने जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के वर्गीकरण एवं लेखाकरण की आवश्यकताओं का विवरण, वित्त लेखा की विवरणी 10 एवं परिशिष्ट-॥। में दिया गया है। वस्तु के रूप में दिए जाने वाले सहायता अनुदान के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

ऋण एवं अग्रिम: आई.जी.ए.एस. 3: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम का विवरण, वित्त लेखा की विवरणी 7 एवं 18 में दिया गया है।

पूर्व अवधि समायोजन: आई.जी.ए.एस. 4: पूर्व अवधि समायोजन के अनुपालन में, राज्य सरकार मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समायोजन करती है और ऐसी जानकारी का खुलासा करती है, जो पूर्व अवधि की त्रुटियों से संबंधित है और सरकारी निर्णयों में परिवर्तन से उत्पन्न पूर्व अवधि समायोजन की आवश्यकता वाली प्रविष्टियों को कवर करती है, जो पिछले वर्षों के दौरान चालू शेष राशि और प्रगतिशील राशियों को प्रभावित कर सकती है, जिसके लिए लेखे बंद कर दिए गए हैं। हालांकि, वर्ष 2023-24 के दौरान, कोई पूर्व अवधि समायोजन नहीं थे।

सेवानिवृत्ति लाभ: रिपोर्ट अवधि के दौरान संवितरित सेवानिवृत्ति लाभ लेखा में वर्णित है परंतु पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली भविष्य पेंशन देयता जैसे पूर्व एवं वर्तमान कर्मचारियों को उनकी पुरानी एवं वर्तमान सेवाओं के बदले दी जाने वाली सेवानिवृत्ति हितलाभ के भुगतान की देयता की लेखा में शामिल नहीं किया गया है।

(vi) पूर्णांकनः:

विवरणी में, आँकड़े ₹ लाख एवं ₹ करोड़ में पूर्णांकित किए गए हैं जिसे संबंधित विवरणी के शीर्ष पर दर्शाया गया है। विभिन्न विवरणों में निरपेक्ष आंकड़ों के साथ-साथ पूर्णांकित आंकड़ों के संबंध में जहाँ भी अंतर होता है, वह आंकड़ें पूर्णांकित करने के कारण हैं।

(vii) रोकड़ शेषः:

लेखों में दर्शाया गया रोकड़ शेष, राज्य सरकार का वर्ष के 31 मार्च के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग एवं राज्य सरकार के लेखों में दर्ज शेष है। रोकड़ शेष, उस वर्ष में राज्य की समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत नकद लेन-देन के बाद शेष को दर्शाता है। बही समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि वह गैर-नकद लेनदेन हैं। वित्त लेखा में उल्लेखित रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक की बही के साथ मिलान किया जाना है।

(viii) आकस्मिक एवं प्रतिबद्ध देयता का प्रकटीकरण:

आई.जी.ए.एस. 1: ‘सरकार के द्वारा दी गयी गारंटीयाँ’ : वित्त लेखा की विवरणी 9 एवं 20 में गारंटीयों का क्षेत्र-वार तथा वर्ग-वार विवरण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार दिया गया है।

सरकार प्रतिबद्ध लेखाकरण का अनुसरण नहीं करती है और प्रतिबद्धताएँ न तो दर्ज की गयी हैं और न हीं प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध देयता स्वीकृत है परंतु वित्त लेखा के परिशिष्ट XII में आगामी प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया है।

(ix) पास श्रू लेन-देन: राज्य द्वारा एकत्रित प्राप्तियों की प्रकृति में पास-श्रू लेन-देन जिन्हें अन्य इकाई को अंतरित किया जाना आवश्यक है, का खुलासा वित्त लेखे पर टिप्पणियों में किया जाता है। इनमें राज्य कैम्पा फंड में वर्ष के संग्रह का 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय कोष में अंतरित करना, रॉयल्टी का दो प्रतिशत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को अंतरित करना, श्रम उपकर संग्रह करना और सरकारी खाते में रखना तथा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित करना, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर राज्य द्वारा प्राप्त केंद्रांश का सिंगल नोडल एजेंसी को अंतरण, सार्वजनिक खाते में निर्दिष्ट प्रमुख शीर्ष से एनपीएस अंशदान का नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक में अंतरण शामिल हो सकते हैं।

2. लेखाकरण तंत्र का अनुपालन:

(i) मासिक लेखे बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा खातों को फ्रीज न करना: विद्यमान पद्धति के अनुसार, राज्यों द्वारा एक बार बंद किए गए और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रस्तुत लेखे को किसी भी परिवर्तन हेतु नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि इससे मासिक लेखे का गलत प्रतिनिधित्व होगा। मासिक लेखे बंदी के उपरांत कोषागारों द्वारा लेखे को फ्रीज न करने से एजी कार्यालय को मासिक लेखे जमा करने के बाद भी डेटा संशोधन की गुंजाइश रह सकती है और एजी कार्यालय और राज्य सरकार के बीच आँकड़ों/डेटा का मिलान नहीं हो सकता है। मासिक लेखे को बंद करने और उन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को भेजने के बाद व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) में लेखे को फ्रीज करने का प्रावधान है।

(ii) अनाधिकृत शीर्षों का संचालन:

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई अनाधिकृत शीर्ष नहीं संचालित किया गया है।

(iii) लेखा में नए उप-शीर्षों/विस्तृत शीर्षों को बिना परामर्श के खोलना:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा परामर्श किए गए प्रारूप में राज्य के लेखे रखे जाने हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, बिहार सरकार ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय से सलाह लिए बिना या उसे सूचित किए बिना बजट में कोई नया उपशीर्ष नहीं खोला है।

(iv) बजट प्रावधानों के वर्णन में विसंगति एवं गलत वर्गीकरण:

वर्ष 2023-24 के दौरान, बजट प्रावधानों में विसंगति और गलत वर्गीकरण का कोई मामला प्रदर्शित नहीं था।

3. समेकित निधि:

(i) वस्तु एवं सेवा कर:

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य का जीएसटी संग्रह वर्ष 2022-23 में जीएसटी संग्रहण ₹23,242.93 करोड़ की तुलना में ₹27,677.60 करोड़ था, इस प्रकार इसमें ₹4,434.67 करोड़ (19.08 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज हुई। इसमें ₹(-)334.80 करोड़ आईजीएसटी का अग्रिम अंश शामिल है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य को शुद्ध आगम की हिस्सेदारी में ₹34,477.56 करोड़ प्राप्त हुए। जीएसटी के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ ₹62,155.16 करोड़ हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य को जीएसटी के कार्यान्वयन से हुए राजस्व नुकसान के कारण ₹398.19 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है।

(ii) राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण:

(क) वर्ष 2023-24 के दौरान, पूँजीगत अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹0.21 करोड़ दर्ज किए गए हैं। इस गलत वर्गीकरण के कारण ₹0.21 करोड़ राजस्व व्यय को अधिक और पूँजीगत व्यय को कम दर्शाया गया है। इसके अलावा, राजस्व अनुभाग के बजाय पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹22.53 करोड़ दर्ज किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक पूँजीगत व्यय को अधिक और राजस्व व्यय को कम दर्शाया गया है। यह गलत वर्गीकरण पिछले वर्षों से संबंधित आपत्ति पुस्तिका (ओबी) उचंत व्यय के समायोजन के कारण है। राज्य के राजस्व और पूँजीगत व्यय पर गलत वर्गीकरण का प्रभाव, पैरा 7 के अंतर्गत दिया गया है।

(ख) अन्य गलत वर्गीकरण: बिहार बजट मैनुअल 2016 के नियम 90 के अनुसार, “विभागाध्यक्ष और उनके अधीनस्थ अधिकारी बजट आवंटन को क्षेत्र/अधीनस्थ अधिकारियों में वितरित करने के लिए जिम्मेदार हैं”।

पंचायती राज विभाग ने संकल्प संख्या 5464 दिनांक 16-05-2023 के तहत अपने नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों की 65,355 जलापूर्ति योजनाओं (मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना) को उनके सतत संचालन और रखरखाव के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। इसने 2023-24 में संपत्ति निर्माण हेतु सहायता अनुदान के रूप में 2515-00-198-0009-31-05 शीर्ष के तहत पीएचईडी को ₹150.00 करोड़ आवंटित किए। इसे पीएचईडी के अधीनस्थ कार्य प्रभागों को उप-आवंटित किया गया है। चूँकि यह अनुदान पंचायती राज विभाग से संबंधित मांग संख्या 16 के अंतर्गत उपलब्ध है, इसलिए सिद्धांत अनुसार, सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग इस मामले में पी.एच.ई.डी., को अनुदान नहीं दे सकता है। अनुदान संख्या 36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में व्यय हेतु राशि का प्रावधान होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से पंचायती राज विभाग को डिपॉजिट कार्य हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अधिकृत करना चाहिए। हालांकि, विस्तृत विनियोग लेखे तथा व्यय हेतु वास्तविक डेबिट से पता चलता है कि पीएचईडी, मांग-16 पंचायती राज विभाग अंतर्गत प्रमुख शीर्ष 2515 के तहत व्यय दर्ज कर रहा है। इस प्रकार, पंचायती राज विभाग को सही बजट बनाकर विसंगति को दूर करना चाहिए।

विक्रेता/कार्यान्वयन एजेंसियों को वास्तविक भुगतान प्रमाणित बिल के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन विक्रेता को किए गए भुगतान को जीआईए के तहत वर्गीकृत किया गया है, जहाँ विक्रेता द्वारा कोई यूसी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार को असंगत बजट और लेखा पद्धति के बारे में सूचित कर दिया गया है।

(iii) सीसीओ और महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बीच प्राप्तियों और व्यय एवं राज्य द्वारा दिया गया ऋण तथा अग्रिम का सत्यापन:

सभी नियंत्री अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), बिहार द्वारा लेखाकृत आंकड़ों के साथ करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹2,53,602.34 करोड़ (कुल प्राप्तियों ₹2,53,660.71 करोड़ का 99.98 प्रतिशत) की कुल प्राप्तियों तथा ₹1,88,201.26 करोड़ (कुल राजस्व व्यय ₹1,90,514.17 करोड़ का 98.79 प्रतिशत) के कुल राजस्व व्यय एवं ₹36,364.75 करोड़ (कुल पूँजीगत व्यय ₹36,453.02 करोड़ का 99.76 प्रतिशत) के कुल पूँजीगत व्यय का मिलान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम राशि ₹2,135.86 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण तथा अग्रिम का 100.00 प्रतिशत) का मिलान किया गया।

इसकी तुलना में, पिछले वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹1,43,135.46 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 82.89 प्रतिशत) की प्राप्तियों और ₹1,63,284.02 करोड़ (कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय का 75.77 प्रतिशत) की व्यय राशि का मिलान किया गया था।

(iv) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय तथा 800-अन्य प्राप्तियाँ अंतर्गत दर्जः

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय तथा 800-अन्य प्राप्तियाँ को तभी व्यवहार में लाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखे को अस्पष्ट करता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखे के 29 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹148.77 करोड़ को लेखे में '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (₹2,26,967.19 करोड़) का 0.07 प्रतिशत था।

विगत वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखे के 23 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹252.05 करोड़ को लेखे में '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (₹2,15,496.04 करोड़) का 0.12 प्रतिशत था।

इसी प्रकार, लेखे के 40 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1,051.31 करोड़ को लेखे में 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹1,93,347.23 करोड़) का 0.54 प्रतिशत था।

वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ-क्रमशः....

31 मार्च 2023 तक पी.डी. खाते से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है

(₹ करोड़ में)

अप्रैल 2022 तक आदि शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद/निकासी		31 मार्च 2023 तक अंत शेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
212	4,040.21	32	1,229.60	02	1,411.76	242	3,858.05

(vi) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्र:

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 177 में यह निर्देशित है कि मांग के पूर्वानुमान अथवा बजटीय अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए कोई धन कोषागार से नहीं निकाला जाना चाहिए। आकस्मिक परिस्थिति में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्रों के माध्यम से राशि निकालने के लिए प्राधिकृत हैं। बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 194 के अनुसार, डीडीओ द्वारा जिस माह में कोषागार से अग्रिम लिया गया था, उसके पूरा होने से छह महीने के भीतर अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों (वाउचर) सहित विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

30/09/2023 तक ₹68,370.28 करोड़ की राशि के कुल 1,26,698 ए.सी. बिल की निकासी की गयी। इसमें ₹9,205.76 करोड़ की राशि के 22,130 ए.सी. बिल मार्च, 2024 के अंत तक डी.सी. बिल हेतु देय थे।

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹4,718.24 करोड़ के कुल 5,088 ए.सी. विपत्रों में से मार्च 2024 में ₹1,041.12 करोड़ (22.06 प्रतिशत) की राशि की निकासी 1,648 ए.सी. विपत्रों द्वारा की गयी। 31 मार्च 2024 तक समायोजन हेतु देय ₹9,205.76 करोड़ (पूँजीगत व्यय हेतु ₹5,577.91 करोड़ शामिल) की राशि के कुल 22,130 ए.सी. बिलों के संबंध में डी.सी. बिल 21.06.2024 तक प्राप्त नहीं हुए थे। समायोजन हेतु देय असमायोजित ए.सी. बिलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित एसी विपत्रों की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)
2022-23 तक	21,646	7,120.02
2023-24	484	2,085.74
कुल	22,130	9,205.76
वर्ष	समायोजन की नियत तिथि से पहले समायोजित ए.सी. बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2023-24	05	0.71

एसी बिल/डीसी बिल की संख्या और संबंधित राशि में, वे बिल शामिल नहीं हैं जो एकल नोडल एजेंसियों (एसएनए) से संबंधित हैं। बिहार में, एसी बिल का उपयोग एसएनए को निधि अंतरित करने हेतु नहीं किया जाता है।

*सितम्बर 2023 तक निकासित एसी विपत्रों को लिया गया है।

नोट: वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹1,430.56 करोड़ की राशि की कुल 939 एसी बिलों का आंशिक समायोजन हुआ है।

वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ-क्रमशः....

31 मार्च 2023 तक असमायोजित एसी बिलों का विवरणी इस प्रकार है:

वर्ष	असमायोजित एसी विपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2021-22 तक	26,574	6,450.17
2022-23	818	1,038.88
कुल	27,392	7,489.05

(vii) सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) का प्राप्त न होना:

बिहार कोषागर संहिता, 2011, के नियम 271 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सशर्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), अनुदानग्राही को अनुदान प्राप्त करने की तारीख से 18 महीने के अंदर या उसी प्रयोजन पर आगे अनुदान हेतु आवेदन करने के पूर्व, जो भी पहले हो, अनुदान संस्थीकृत करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में इस बात का जोखिम है कि वित्त लेखे में उल्लेखित राशि संभवतः लाभार्थियों तक नहीं पहुँची थी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए 65,390 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों से संबंधित ₹1,57,890.29 करोड़ की राशि देय थी। इनमें से 15,741 बकाया यूसी से संबंधित ₹87,012.68 करोड़ को समाशोधित किया गया। 31 मार्च 2024 तक बकाया यूसी की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष*	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2022-23 तक	30,755	42,049.93
2023-24	18,894	28,827.68
कुल	49,649	70,877.61
वर्ष	समायोजन की नियत तिथि से पहले समायोजित एसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2023-24	4,118	26,878.72

जीआईए बिलों/यूसी की संख्या और संबंधित राशि में वे भी शामिल हैं जो एकल नोडल एजेंसियों (एसएनए) से संबंधित हैं।

*उपर्युक्त वर्णित वर्ष 'लंबित वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात्।

नोट: देय तिथि के बाद और देय तिथि से पहले क्रमशः ₹79,421.63 करोड़ और ₹26,087.62 करोड़ की राशि आंशिक रूप से समायोजित की गई है।

31.03.2023 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2019-20 तक	16,348	52,063.17
01.04.2020 से 30.09.2021	25,407	35,884.71
कुल	41,755	87,947.88

(viii) ब्याज समायोजन:

सरकार ज-आरक्षित निधि (क. ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ), ट-जमा तथा अग्रिम (क.ब्याज सहित जमा) के तहत शेष राशि के संबंध में ब्याज के भुगतान/समायोजन करने हेतु उत्तरदायी है और इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट उप-मुख्य शीर्षों को मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में स्थान प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान इन निधियों/जमाओं और सरकार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधि/जमा	1 अप्रैल 2023 को आदि शेष	ब्याज की गणना का आधार	बकाया ब्याज	ब्याज भुगतान	कम ब्याज भुगतान
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	566.71	ब्याज की गणना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 3.35 प्रतिशत की दर से की गई है।	16.66	7.07	9.59
राज्य आपदा रिस्पॉस निधि	1,687.87	आरबीआई द्वारा ओवरड्राफ्ट पर 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जाती है (रेपो दर प्लस 2)	133.22	33.77	99.45
राज्य आपदा शमन निधि	372.02	आरबीआई द्वारा ओवरड्राफ्ट पर 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जाती है (रेपो दर प्लस 2)	53.36	6.60	46.76
कुल	2,626.60		203.24	47.44	155.80

* ब्याज की गणना प्रत्येक माह के अंत में प्रगामी शेष राशि के आधार पर लागू दरों के अनुसार की गई है।

₹155.80 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम दर्शाया गया है।

(ix) सरकार द्वारा दी गई गारंटीयाँ:

राज्य सरकार ने न तो गारंटी अधिनियम बनाया है और न ही गारंटी मोचन कोष बनाया है। दिनांक 1 अप्रैल 2023 को बकाया गारंटी ₹25,939.25 करोड़ (मूलधन: ₹25,256.75 करोड़ एवं ब्याज: ₹682.50 करोड़) थी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹26,359.34 करोड़ की गारंटीयाँ जारी की तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड से प्राप्य गारंटी कमीशन ₹7.75 करोड़ था। यह वर्ष 2023-24 के दौरान गारंटीकृत राशि का 0.03 प्रतिशत है। विवरण वित्त लेखा खण्ड-। एवं ॥ की विवरणी- 09 एवं 20 में क्रमशः दिया गया है।

(x) पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण पर व्यय:

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण पर किए गए व्यय को वित्त लेखे में विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षों के लघु शीर्ष स्तर तक दर्शाया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बिहार सरकार ने बजट आवंटन ₹912.07 करोड़ (2402: ₹176.58 करोड़, 2406: ₹728.36 करोड़ और 3435: ₹7.13 करोड़) के विरुद्ध ₹432.35 करोड़ मुख्य शीर्षों 2402 (₹59.12 करोड़),

2406 (₹370.32 करोड़) और 3435 (₹2.91 करोड़) के अंतर्गत व्यय किया है। पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान, बिहार सरकार ने मुख्य शीर्षों 2406, 2852 और 3435 के अंतर्गत ₹1,555.05 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध ₹1,202.26 करोड़ का व्यय किया गया था।

(xi) अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय:

वर्ष 2023-24 के दौरान, बिहार सरकार ने राहत और सहायता के लिए राजस्व व्यय के रूप में मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित राहत उपायों पर ₹674.88 करोड़ (पिछले वर्ष 2022-23 में ₹213.64 करोड़) खर्च किए।

सरकार ने इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार से ₹1,248.80 करोड़ प्राप्त किये, जो सहायता अनुदान/केन्द्रीय सहायता आदि हैं, जिनका लेखा मुख्य शीर्ष-1601 और 8121 के अंतर्गत किया गया है।

(xii) केंद्रीय ऋणों का अपलेखन:

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर फरवरी 2012 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ने केंद्रीय योजना एवं केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के प्रति 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए अग्रिमों को छोड़कर) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए अग्रिम ऋणों को अपलेखित कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश लागू होने की तिथि (31 मार्च 2010) से मूलधन एवं ब्याज के अधिक भुगतान को समायोजित करने की स्वीकृति दी तथा भविष्य में वित्त मंत्रालय को पुनर्भुगतान के लिए इसे लागू किया। बिहार सरकार ने 31 मार्च 2024 तक ₹11.52 करोड़ (मूलधन: ₹5.30 करोड़, ब्याज: ₹6.22 करोड़) का अधिक भुगतान किया था, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹7.07 करोड़ का समायोजन किया है और ₹4.45 करोड़ अभी भी समायोजित किए जाने हैं।

(xiii) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण:

31 मार्च 2024 तक 23 विभागों (33 ऋणदाता संस्थाओं) से संबंधित ₹13,399.63 करोड़ के पुराने ऋणों के संबंध में, वर्ष 2014 से लंबित ऋणों सहित पिछले कई वर्षों के दौरान मूलधन की वसूली नहीं की गई है।

सांविधिक निकायों/अन्य संस्थाओं के ₹2,048.17 करोड़ के ऋणों के पुनर्भुगतान के नियम और शर्तों का निपटान नहीं किया गया है (विस्तृत विवरण वित्त लेखे खण्ड-II की विवरणी 18 के अतिरिक्त प्रकटीकरण में हैं)। परिणामतः, इस संबंध में राज्य सरकार की प्राप्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सका है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय वार्षिक रूप से ऋण शेषों (जहाँ इनके द्वारा विस्तृत खातों का रखरखाव किया जाता है) को सत्यापन और स्वीकृति के लिए संस्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करते हैं। 34 विभागों/ऋणदाताओं में केवल 01 ने शेष राशियों की पुष्टि की है। शेष राशि के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखे, खण्ड-II के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

(xiv) वचनबद्ध देयताएँ:

बारहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संदर्भ में, केंद्र सरकार द्वारा एकूल आधारित लेखांकन की पहल की गई है। हालांकि, लेखांकन के एकूल आधार में बदलाव के लिए परिवर्तन चरणबद्ध होता है तो निर्णय में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में नकद लेखांकन पद्धति में विवरणी के रूप में कुछ अतिरिक्त सूचनाएं जोड़ी जानी आवश्यक हैं। राज्य सरकार ने वित्त लेखे खण्ड-II के परिशिष्ट-XII में प्रतिबद्ध देयताओं की जानकारी प्रस्तुत की है।

(xv) केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) पर व्यय:

वर्ष 2023-24 के दौरान, 31 मार्च 2024 तक केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय ₹31,205.63 करोड़ [राजस्व व्यय (₹29,076.51 करोड़) और पूंजीगत व्यय (₹2,129.12 करोड़)] है, जिसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता (₹18,503.96 करोड़) और राज्यांश (₹12,701.67 करोड़) में से व्यय शामिल है।

(xvi) राज्य में कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों/लाभार्थियों को केंद्रीय योजना निधियों का सीधे अंतरण:

सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, 2023-24 के दौरान राज्य में लाभार्थियों (एनजीओ, केंद्र सरकार के संगठन, वैधानिक संगठन, शहरी/ग्रामीण निकायों, लाभार्थियों, आदि) सहित कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹18,618.35 करोड़ प्राप्त हुए। कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का सीधे अंतरण 2022-23 की तुलना में 23.39 प्रतिशत कम हुआ है (2022-23 में ₹24,302.19 करोड़ से 2023-24 में ₹18,618.35 करोड़ तक)। विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II के परिशिष्ट-VI में दिये गये हैं।

(xvii) राज्य सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ तथा अंतर्निहित सब्सिडी:

ऑफ-बजट उधार उस सीमा तक सरकार का भार है जहाँ तक मूलधन और उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से सरकारी बजट के माध्यम से राज्य इकाई को सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाता है।

राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ-बजट देयताएँ नहीं दर्शायी है। हालांकि, वर्ष 2023-24 में, राज्य सरकार ने ₹53.48 करोड़ बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसी) को ऑफ-बजट उधार के रूप में सूचित किया है (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को दी गयी के अनुसार)।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने ऑफ बजट उधार हेतु सहायता/अनुदान के रूप में ₹268.61 करोड़ प्रदान किए, जिसमें नाबार्ड से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु शीर्ष 2425-00-190-0011 अंतर्गत बिहार राज्य भंडारण निगम को दी गयी ₹10.09 करोड़ की राशि शामिल है।

ऑफ-बजट उधार के अलावा, लागत की वसूली न होने के कारण बिजली कंपनियों को ₹13,114.04 करोड़ की सब्सिडी भी उसी वर्ष प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान कोई गारंटी विलोपित नहीं की गई है।

(xviii) सिंगल नोडल एजेन्सी (एसएनए) को निधियों का अंतरण:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत धन जारी करने और सिंगल नोडल एजेन्सी (एसएनए) के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सीएसएस के लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए एसएनए की स्थापना अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में उसके बैंक खाते के साथ की जाती है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी 2023 के अनुसार, राज्य सरकार को केंद्रांश के साथ-साथ राज्यांश को भी केंद्रांश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर एसएनए खाते में अंतरित करना होता है। एसएनए खाते में केंद्रांश के अंतरण में 30 दिनों से अधिक की देरी होने पर, राज्य सरकार को 01-04-2023 से 7% प्रति वर्ष की दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

राज्य सरकार के अनुसार, वर्ष के दौरान, कोषागार खाते में ₹18,231.24 करोड़ केंद्रांश तथा ₹17,624.65 करोड़ (एसएनए रिपोर्ट के अनुसार) केंद्रांश प्राप्त हुआ। पीएफएमएस रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक, राज्य सरकार ने एसएनए को ₹18,173.89 करोड़ केंद्रांश तथा ₹12,971.30 करोड़ राज्यांश अंतरित किया। इस प्रकार, कुल अंतरित राशि ₹31,145.19 करोड़ है। एसएनए को केंद्रांश के ₹57.35 करोड़ का कम अंतरण हुआ, जो इस सीमा तक नकद शेष को अतिरिक्त बताता है।

सीएफएमएस रिपोर्ट के अनुसार, ₹31,145.19 करोड़ के कुल अंतरण में से, ₹22,470.94 करोड़ जीआईए बिलों के माध्यम से और ₹8,674.25 करोड़ पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए हैं। एसएनए से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एजी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

जैसा कि राज्य सरकार ने पीएफएमएस एसएनए-01 रिपोर्ट के माध्यम से बताया है, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹14,738.14 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं।

एसएनए को केंद्रांश और राज्यांश अंतरण की राशि के संबंध में वित्त लेखा आंकड़ों और एसएनए रिपोर्ट के बीच अंतर का समाधान किया जा रहा है।

(xix) डीडीओ बैंक खाता में निधि का अंतरण:

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 177 के अनुसार, सरकारी कोषागार से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक कि तत्काल भुगतान करने की आवश्यक न हो। 52 अनुदानों में से 5 अनुदानों के डीडीओ द्वारा अपने बैंक खाते में धनराशि अंतरित करने से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

मांग संख्या	2023-24 के दौरान राशि का अंतरण	2023-24 के दौरान कुल अंतरित राशि में से व्यय	31 मार्च 2024 तक अव्ययित राशि
10	16,155.90	16,130.27	25.62
34	21.09	19.35	1.74
43	21.22	13.98	7.23
44	14.90	12.00	2.90
50	1.78	1.67	0.11

4. आकस्मिक निधि:

बिहार आकस्मिक निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने बिहार राज्य की आकस्मिक निधि में धनराशि के भुगतान की अभिरक्षा तथा उसमें से धनराशि की निकासी से संबंधित या उससे सहायक सभी मामलों को विनियमित करने के लिए बिहार आकस्मिक निधि नियम, 1953 बनाया है। बिहार राज्य की आकस्मिक निधि में ₹350.00 करोड़ की धनराशि है। बिहार आकस्मिक निधि अधिनियम, 2015 के अनुसार, बिहार आकस्मिक निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के लागू होने की तिथि से प्रत्येक वर्ष अस्थायी निधि में उस वित्तीय वर्ष के 30 मार्च तक उस वर्ष के व्यय बजट के 4 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। राज्य सरकार ने 01 अप्रैल 2023 से 30 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर मुख्य शीर्ष '7999-आकस्मिक निधि में विनियोजन' के अंतर्गत बजटीय प्रावधान के माध्यम से कोष को ₹350.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000.00 करोड़ (₹350.00 करोड़ + ₹9,650.00 करोड़) कर दिया। ₹9,650 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष 8000 के अंतर्गत जमा की गई है। ₹9,650.00 करोड़ की पूरी राशि 30 मार्च 2024 के बाद मुख्य शीर्ष '7999-आकस्मिक निधि में विनियोजन' के अंतर्गत समेकित निधि में वापस कर दी गई है। 31 मार्च 2024 तक आकस्मिक निधि में ₹350.00 करोड़ का शेष है।

5. लोक लेखा:

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस):

01/09/2005 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं, जो परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार, कर्मचारी को अपने मासिक वेतन का 10 प्रतिशत और राज्य सरकार को 14 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। पूरी राशि को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को अंतरित करना होता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस में अंतरित कुल राशि ₹3,402.09 करोड़ थी (कर्मचारियों का योगदान 10 प्रतिशत की दर से ₹1,387.46 करोड़ और सरकार का योगदान 14 प्रतिशत की दर से ₹1,984.79 करोड़ और सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज ₹29.84 करोड़)। सरकार के योगदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे

खण्ड-II के विवरण संख्या 15 अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2071 और 2049 में उपलब्ध है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत लोक लेखा खाते में ₹3,402.09 करोड़ अंतरित किए। एनपीएस में सरकार का योगदान ₹42.35 करोड़ से अधिक था (सरकार का वास्तविक योगदान ₹1,984.79 करोड़ घटाव सरकार का अपेक्षित योगदान ₹1,942.44 करोड़)। इस निधि में प्रारंभिक शेष ₹258.16 करोड़ था। सरकार ने 31 मार्च, 2024 तक ₹3,650.00 करोड़ एनएसडीएल को अंतरित कर दिए हैं, जिससे ₹10.24 करोड़ (₹3,660.24 करोड़ घटाव ₹3,650.00 करोड़) का शेष रह गया है, जिसे अभी एनएसडीएल को अंतरित किया जाना है। 2020-21 से पहले, नियोक्ता और कर्मचारियों का योगदान मुख्य शीर्ष 8011-106 में जमा किया गया था। 31 मार्च, 2024 तक, इस शीर्ष के अंतर्गत अंत शेष ₹40.87 करोड़ थी, जिसे एनएसडीएल को अंतरित किया जाना है। ₹51.11 करोड़ (₹10.24 + ₹40.87 करोड़) का अंतरित न किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार का नकदी शेष उस सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।

(ii) (अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ:

(क) राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ):

राज्य आपदा मोचन निधि (मुख्य शीर्ष- ‘8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ’ के अंतर्गत, जो ब्याज सहित अनुभाग के अंतर्गत आता है) के गठन और प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को केन्द्रांश के रूप में ₹1,248.80 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का अंश ₹416.00 करोड़ है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एसडीआरएफ के अंतर्गत निधि में ₹1,698.57 करोड़ (केन्द्रांश ₹1,248.80 करोड़, राज्यांश ₹416.00 करोड़ और एसडीआरएफ की निवेशित राशि से प्राप्त ब्याज ₹33.77 करोड़) अंतरित किए। मुख्य शीर्ष 2245 में ₹586.40 करोड़ की राशि को निधि से व्यय के रूप में सेट ऑफ किया गया तथा ₹1,000.00 करोड़ की राशि निधि से निवेशित की गई। 31 मार्च 2024 तक निधि में अंत शेष ₹2,800.04 करोड़ है।

2023-24 के दौरान राज्य सरकार को एनडीआरएफ के लिए केंद्र सरकार से कोई अनुदान नहीं मिला है।

(ख) राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ):

राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, की धारा 48 (1) (सी) के तहत राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन किया जाना है। यह कोष अनन्य रूप से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) दिशा-निर्देशों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदाओं के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है।

राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 01/-प्रा0आ0-(एनडीएमएफ/एसडीएमएफ)-56/2020/3182 दिनांक 07.07.2022 के तहत मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा शमन निधि के अंतर्गत एसडीएमएफ का गठन किया है।

केंद्र और राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹304.80 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹101.60 करोड़ है। राज्य सरकार ने ₹611.30 करोड़ (केन्द्रांश ₹453.50 करोड़ जिसमें पिछले वर्ष 2022-23 के ₹148.70 करोड़ शामिल हैं, राज्यांश ₹151.20 करोड़ जिसमें पिछले वर्ष 2022-23 के ₹49.60 करोड़ और एसडीएमएफ की निवेशित राशि से प्राप्त ब्याज ₹6.60 करोड़ शामिल हैं) को मुख्य शीर्ष 8121-130 एसडीएमएफ के तहत निधि में अंतरित कर दिया है। मुख्य शीर्ष 2245 में ₹223.52 करोड़ की राशि को निधि से व्यय के रूप में सेट ऑफ किया गया तथा निधि से ₹200.00 करोड़ की राशि का निवेश किया गया। 31 मार्च 2023-24 तक निधि में अंत शेष ₹759.80 करोड़ था।

(ग) राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ):

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकारों को राज्य के लोक लेखा में ब्याज सहित अनुभाग के तहत उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशियों से राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना करना आवश्यक है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से ₹86.85 करोड़ प्राप्त हुए। ₹364.09 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष 2406 में एससीएएफ से प्राप्त व्यय के रूप में सेट ऑफ की गई। 31 मार्च, 2024 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में अंत शेष ₹289.47 करोड़ था।

(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ:

(क) समेकित निक्षेप निधि: बिहार सरकार ने 30 मार्च 2009 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत तक की अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण: ₹2,08,098.10 करोड़ + लोक लेखे: ₹50,461.44 करोड़) का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत समेकित निक्षेप निधि में योगदान कर सकते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने ₹1,292.80 करोड़ के विरुद्ध ₹1,466.54 करोड़ का योगदान किया है। 31 मार्च 2024 तक निधि का कुल संचय ₹10,486.99 करोड़ (मूलधन ₹8,494.66 + ब्याज ₹1,992.33) (31 मार्च 2023 तक ₹8,320.73 करोड़) था।

(ख) गारंटी मोचन निधि:

राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के बावजूद 31 मार्च 2023 तक गारंटी मोचन निधि नहीं बनायी है। 31 मार्च 2024 तक बकाया गारंटी राशि पर ब्याज: ₹1,325.69 करोड़) थी।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार को गारंटी कमीशन/शुल्क के रूप में ₹36.05 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

(iii) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ):

सीआरआईएफ का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे में सुरक्षा सुधार, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास और रखरखाव आदि के लिए किया जाएगा।

मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में राज्य द्वारा केंद्र से प्राप्त अनुदान को शुरू में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के माध्यम से लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8449-103-केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से प्राप्तियाँ में अंतरित किया जाना है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने सीआरआईएफ के लिए ₹258.43 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया और उसे निधि में अंतरित कर दिया। सरकार ने मुख्य शीर्ष- 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत निधि से ₹258.43 करोड़ का व्यय किया।

(iv) उचंत तथा प्रेषण शेष:

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹771.07 करोड़ की राशि का व्यय (राजस्व ₹448.88 करोड़ और पूंजीगत ₹322.19 करोड़) और ₹0.18 करोड़ की प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष 8658, लघु शीर्ष-102-उचंत लेखा सिविल (आपत्ति पुस्तिका उचंत) और लघु शीर्ष-110-रिजर्व बैंक उचंत-केंद्रीय लेखा कार्यालय (व्यय ₹1.51 करोड़ और प्राप्तियाँ ₹4.26 करोड़) के अंतर्गत वाउचर/चालान/स्वीकृति पत्र आदि दस्तावेजों के अभाव में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा उचंत में रखा गया है। सरकार का कुल व्यय/प्राप्ति उस सीमा तक कम बताई गई है।

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शुद्ध शेष दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को अलग-अलग एकत्रित करके गणना की गई। 31 मार्च 2024 तक, प्रमुख शीर्ष 8658, 8782 और 8793 के अंतर्गत बकाया शेष राशि क्रमशः ₹5,611.32 करोड़ (डेबिट), ₹1,125.44 करोड़ (डेबिट) और ₹2.07 करोड़ (डेबिट) थी।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का निपटान न होने से राज्य सरकार की प्राप्ति और व्यय के आंकड़ों और विभिन्न लेखा शीर्षों (जिन्हें वर्ष-दर-वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) के अंतर्गत शेष राशि की सटीकता प्रभावित होती है।

(v) चेक, बिल तथा डिजिटल भुगतान:

मुख्य शीर्ष 8670-चेक और बिल के अंतर्गत जमा शेष, जारी किए गए लेकिन बिना भुगताए गये चेक को दर्शाता है। 01 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष ₹171.31 करोड़ (जमा) था। 2023-24 के दौरान, ₹1,94,189.97 करोड़ के चेक की राशि के इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट एडवाईसेस जारी किए गए, जिसमें से ₹1,94,154.66 करोड़ को भुनाया गया और 31 मार्च 2024 को ₹206.63 करोड़ (जमा) की अंतिम राशि शेष थी। अंतिम शेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में

विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के तहत मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 तक बिहार सरकार को कोई नकद बहिर्वाह नहीं हुआ, को दर्शाता है।

डिजिटल भुगतान के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान आदेश को लेनदेन पूरा होने पर व्यय के रूप में माना जाता है। हालांकि, विफलता के मामले में जिसे 'ई-कुबेर (ई-भुगतान) असफल' लेनदेन कहा जाता है, लेनदेन के व्यवहार को 8658 में उचंत के रूप में माना जाता है। वर्ष 2023-2024 में, ई-कुबेर (ई-भुगतान) असफल लेनदेन के कारण ₹31.63 करोड़ की राशि उचंत के रूप में दर्ज की गई।

(vi) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर:

भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर वसूलने एवं संग्रह करने हेतु भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) लागू किया।

1 अप्रैल, 2023 तक उपकर का प्रारंभिक शेष ₹258.15 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने मुख्य शीर्ष 8443-108 के अंतर्गत श्रम उपकर के रूप में ₹119.61 करोड़ (उपकर का संग्रह 2022-23 में ₹104.95 करोड़ और 2021-22 में ₹122.23 करोड़ था) एकत्र किए और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को ₹153.98 करोड़ (2022-23 में ₹92.91 करोड़ और 2021-22 में ₹51.41 करोड़ की तुलना में) अंतरित किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष 8443-108 से अंतरित राशि ₹223.78 करोड़ थी, जिसने नकदी शेष को अतिदर्शित किया।

(vii) सरकार द्वारा आरोपित अन्य उपकर:

(क) सड़क सुरक्षा उपकर:

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016, की धारा 6 बी के अनुसार, राज्य सरकार अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 'बिहार सड़क सुरक्षा निधि' नामक एक निधि स्थापित कर सकती है। हालांकि, 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई निधि नहीं बनायी गयी है।

वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार, सरकार ने मुख्य शीर्ष 0041-00-102-0002 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा उपकर के रूप में ₹188.12 करोड़ (2022-23: ₹159.13 करोड़ और 2021-22: ₹132.29 करोड़) संग्रहित किए और मोटर वाहन कराधान अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुसार, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा परिचालित नामित बैंक खाते में शीर्ष 2041-00-101-0005 के माध्यम से ₹23.77 करोड़ (2022-23: ₹7.63 करोड़ और 2021-22: ₹15.89 करोड़) अंतरित किए गए।

(ख) भूमि उपकर:

सरकार ने मुख्य शीर्ष 0029-00-103-0002 के अंतर्गत भूमि उपकर की राशि के रूप में ₹1.49 करोड़ (2022-23: ₹1.26 करोड़ और 2021-22: ₹1.28 करोड़) एकत्र किए। हालांकि, इस उपकर के लिए राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 तक कोई निधि नहीं बनाई गई है।

(viii) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) को ग्रेषण:

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना अगस्त 2015 को खान और खनिज (विकास और विनियमन)-एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9सी (1) (2015 में संशोधन द्वारा सम्मिलित) के अंतर्गत गई थी। अधिनियम की धारा 9 सी (4) में कहा गया है कि खनन पट्टे या खनिज रियायत के धारक ट्रस्ट को दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान उस प्रकार करना होगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

एनएमईटी नियम, 2015 के नियम 7(6) में कहा गया है कि संग्रहित राशि को ट्रस्ट फंड में जमा करने और केंद्र सरकार के साथ साझा किए जाने वाले आवश्यक खातों को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा, नियम 7(7) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 9सी की उपधारा (4) के अनुसार भुगतान की गई राशि और रॉयल्टी भुगतान के बारे में राज्य सरकार मासिक आधार पर भारत खान ब्यूरो को जानकारी प्रदान करेगी।

एनएमईटी (संशोधित) नियम, 2018 के नियम 7(1) में कहा गया है कि खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा धारक, राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करते समय, ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 9सी की उपधारा (4) के तहत रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसे इस उद्देश्य के लिए दर्ज किए गए शीर्ष के तहत राज्य के सार्वजनिक खाते में जमा करना होगा। इसके अलावा, नियम 7(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार उप-नियम (1) के तहत राज्य के सार्वजनिक खाते में एकत्र की गई राशि को भारत के समेकित निधि में अंतरित करेगी।

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एफ.सं. 8/1/2015-एनएमईटी दिनांक 05.04.2018 के अंतर्गत अधिसूचित नई लेखा प्रक्रिया के अनुसार, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा धारक, राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करते समय, रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि एनएमईटी अंशदान के रूप में ट्रस्ट को देगा, जिसे मुख्य शीर्ष 8449-123-एनएमईटी जमा के अंतर्गत राज्य के लोक खाते में जमा करना होगा। मुख्य शीर्ष 8449-123-एनएमईटी जमा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एकत्र की गई प्राप्तियाँ उसी शीर्ष को डेबिट करके मासिक आधार पर केंद्र सरकार को अंतरित की जाएंगी। एनएमईटी निधि भारत के लोक लेखे के अंतर्गत बनाया गया अव्यपगत और ब्याज रहित निधि है।

वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्ष 8449-123 में ₹0.36 करोड़ की राशि जमा की गई। हालांकि, वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई है। मुख्य शीर्ष 8449-123 के अंतर्गत अंत शेष ₹2.15 करोड़ था। ₹2.15 करोड़ का अंतरण न किए जाने के परिणामस्वरूप नकद शेष राशि अतिरिक्त दिखाया गया है।

(ix) प्रतिकूल शेष:

प्रतिकूल शेष एक ऐसी स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि पर बंद होने वाला लेखा शीर्ष ऋणात्मक शेष दर्शाता है, डेबिट/(-)क्रेडिट शेष देयता शीर्षों या ऐसे शीर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ इसमें सामान्य रूप से क्रेडिट शेष होना चाहिए, और क्रेडिट/(-)डेबिट शेष संपत्ति शीर्षों या शीर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ इसमें सामान्य रूप से डेबिट शेष होना चाहिए। लेखा शीर्ष में प्रतिकूल शेष गलत वर्गीकरण, निधियों की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त अंशदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरी में शेष राशि को आगे नहीं ले जाने, राज्यों/अधिक लेखा इकाइयों के निर्माण के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन आदि के कारण उत्पन्न होता है। 2023-24 में, मुख्य शीर्ष 7610 में ₹0.26 करोड़ का नया प्रतिकूल शेष था। 31 मार्च 2024 के अंत तक 15 शीर्षों में संचयी प्रतिकूल शेष दिखाई देता है, जैसा कि विस्तार से नीचे बताया गया है।

(₹करोड़ में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरणी	मदों की संख्या	ऋण शेष
1	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	5	(-) 2.95
2	6215	जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज	1	(-) 0.08
3	6216	आवास के लिए कर्ज	3	(-) 0.13
4	6245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज	3	(-) 2.83
5	6401	फल कृषि कर्म के लिए कर्ज	1	(-) 0.01
6	6425	सहकारिता के लिए कर्ज	4	(-) 588.21
7	6851	ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	3	(-) 1.38
8	6885	उद्योग तथा खनिज को अन्य कर्ज	2	(-) 0.03
9	7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	7	(-) 17.33
10	8009	राज्य भविष्य निधि	3	(-) 593.95
11	8336	सिविल जमा (ब्याज सहित)	1	(-) 0.55
12	8443	सिविल जमा (ब्याज रहित)	3	(-) 0.54
13	8448	स्थानीय निधियों की जमा	1	(-) 1.00
14	8550	सिविल अग्रिम	1	(-) 3.41
15	8793	अंतर राज्य उचंत लेखा	1	(-) 0.01

(x) रोकड़ शेष:

महालेखाकार (लेखा एवं हक०) के अभिलेखों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक नगद शेष ₹726.68 करोड़ (डेबिट) था और और आरबीआई की सूचना के अनुसार ₹19.94 करोड़ (डेबिट) था। मुख्य रूप से ट्रेजरी/आरबीआई/एजेंसी बैंक और एजी कार्यालय के बीच लंबित समाधान के कारण ₹746.62 करोड़ का शुद्ध अंतर था। अंतर मिलान के अधीन है। पिछले वर्ष, यानी 31 मार्च 2023 तक की स्थिति ₹612.28 करोड़ थी।

6. विशेष मुद्दे:

(क) पेंशन देनदारियों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का बंटवारा: बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 53 अंतर्गत आठवीं अनुसूची के संदर्भ में, बिहार और झारखंड के उत्तराधिकारी राज्यों के कर्मचारियों की पेंशन देनदारियाँ 15 नवंबर 2000 (बिहार और झारखंड राज्यों के विभाजन की तिथि) से 31 मार्च 2001 तक और प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में उत्तराधिकारी राज्य बिहार और झारखंड के बीच विभाजित की जाएगी। हालाँकि, 18 जून 2018 को गृह सचिव, भारत सरकार, की अध्यक्षता में बिहार सरकार और झारखंड सरकार के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, उत्तराधिकारी राज्यों के बीच पेंशन देनदारियों को जनसंख्या अनुपात यानी 645.30:218.44 के आधार पर विभाजित किया जाएगा। बिहार सरकार को 31 मार्च 2021 तक ₹5,787.84 करोड़ के कुल दावे में से 2018-19 तक ₹1,493.95 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

(ख) राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप शेष राशि का आवंटन: बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 उस तरीके का प्रावधान करता है जिससे 15 नवंबर 2000 (बिहार और झारखंड के राज्यों के विभाजन की तारीख) से उत्तराधिकारी राज्यों बिहार और झारखंड के बीच शेष राशि का वितरण किया जाना है। 14 नवंबर 2000 को पूंजीगत अनुभाग (मुख्य शीर्ष 4059 से 5475), ऋण और अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6202 से 7615) के अंतर्गत प्रगतिशील व्यय के रूप में और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा निधि को छोड़कर भाग IIII लोक लेखे के तहत शेष को 15 नवंबर 2000 से 31 मार्च 2001 की अवधि के लिए बिहार के वित्त लेखे में आदि शेष के रूप में अंतरित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए नकद शेष और सार्वजनिक ऋण के तहत शेष को विभाजित किया गया है, पूंजी अनुभाग के तहत शेष ₹11,935.23 करोड़, ऋण तथा अग्रिम के तहत शेष ₹6,583.36 करोड़ और लोक लेखा के तहत शेष ₹7,369.90 करोड़ (क्रेडिट ₹9,760.42 करोड़ एवं डेबिट ₹2,390.52 करोड़) अनिर्धारित रहे। विवरण वित्त लेखे खण्ड-II 2023-24 के परिशिष्ट-XIII में दिए गए हैं।

वित्त लेखे पर टिप्पणियाँ-क्रमशः....

7. प्राप्ति, व्यय और नकदी शेष पर प्रभाव:

राज्यों के वित्त पर गलत वर्गीकरण/वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन का राजस्व एवं पूँजीगत व्यय पर प्रभाव, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है, नीचे सारणीबद्ध है:

(₹ करोड़ में)

पैरा संख्या	मद (उदाहरण)	राजस्व व्यय अतिवर्धित	राजस्व व्यय न्यूनदर्शित	पूँजीगत व्यय अतिवर्धित	पूँजीगत व्यय न्यूनदर्शित	राजस्व प्राप्ति अतिवर्धित	राजस्व प्राप्ति न्यूनदर्शित	अंत शेष अतिवर्धित	अंत शेष न्यूनदर्शित
3(ii) (a)	राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	0.21	22.53	22.53	0.21				
3(viii)	राज्य प्रतिपूरक बनीकरण निधि पर ब्याज की गैर-अदायगी		9.59						
3(viii)	एसडीआरएफ पर ब्याज की कम अदायगी		99.45						
3(viii)	एसडीएमएफ पर ब्याज की कम अदायगी		46.76						
3(xviii)	एसएनए को निधि का अअंतरण							57.35	
5(i)	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की राशि का अअंतरण							51.11	
5(vi)	श्रम उपकर का भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को अअंतरण							223.78	
5(vii)	सड़क सुरक्षा उपकर को अअंतरण		164.35					164.35	
5(viii)	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) को निधि का अअंतरण							2.15	
कुल		0.21	342.68	22.53	0.21	0.00	0.00	498.74	0.00
कुल (निवल) प्रभाव		0.00	342.47	22.32	0.00	0.00	0.00	498.74	0.00

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/bihar/hi>

